हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1978

खंड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार 13 मार्च, 1978

पृष्ठसंख्या

तारांकित एश्न एवं उत्तर.. (13)1

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर ..

(13)28

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव ..

(13) 29

बहिर्गमन (13)

36

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

(13) 39

सदन की पेज पर रखे गए कागज–पत्र

(13) 39

दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर

आफ मैनेजमैंट) बिल, 1978 (पुनरारम्भ)

(13) 40

दि हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स (अमैंडमैंट)

(13) 52

बिल, 1978..

दि पंजाब इन्स्ट्रूमैंटस (कन्ट्रोल आफ नायजिज)

हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1978..

(13) 68

व्यैक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री शमशेर सिंह द्वारा..

(13) 72

दि पंजाब इन्स्ट्रूमैंट्स (कन्ट्रोल आफ नायजिज)

हरियाणा अमैंडमैट बिल, 1978 (पुनरारम्भ)

(13) 72–74

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 15 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,

सैक्टर– 1, चण्डीगढ में 9–30 बजे प्रातः हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की

तारांकित प्रश्न एंव उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब सवाल होगे चौधरी शमशेर सिंह

New Colleges Schools opened in the State

***202 Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the district-wise tota 1 number of new colleges, schools opened in the State during the period from 1st July, 1977 to date;

(b) the district-wise total number of schools upgraded during the above referred period ;

(c) the total number of J.B.T. teachers employed in Government schools as on 31st December, 1977;

(d) the total number of J.B.T. teachers out of those referred to in part (c) above are confirmed together with the number of teachers working on ad hoc basis; and

(e) whether the Government is contemplating to regularise the services of ad hoc teachers who have served for more than a year ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Nil

(b)

	Primary to Middle	Middle to High
Rohtak District	1	
Hissar District	3	1

(c) 29418.

(d) (i) 18494 confirmed.

(ii) 9658 working on ad hoc basis.

(e) The matter is under examination.

श्री शमशेर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आप स्कूल अपग्रेड करते हो, इसका क्राइटेरिया क्या है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, जो स्कूल अपग्रेड किये जाते हैं, उनको अपग्रेड करने का क्राइटेरिया क्या है, यह मैं हाउस में कई दफा पहले हीं अर्ज कर चुका हूं । एक दफा मैं फिर उसे माननीय सदस्यों की इन्फर्मेशन के लिये दोहरा देता हूं ।

क्राइटेरिया कह है कि एक तो जिस जगह पर अपग्रेडेशन होनी है, उस जगह की पापुलेशन कितनी. है, दूसरे स्टुडैन्ट्स की प्रख्या 'कितनी है, तीसरे डिस्टैंस काम एग्जास्टिग स्कूल्ज यानी जो कोई नजदीक हाई स्कूल या मिडल स्कूल है, वह कितनी दूरी. पर है और चौथे कुछ बिल्डिग और जमीन वगैरह की शर्ते भी रखी हुई है । पहली सरकार ने कुछ पैसे की शर्त भी लगा रखी थी लेकिन इस दफा जो हमने स्कूल अपग्रेड किये है, उसमें किसी स्कूल से कोई पैसा नहीं लिया गया ।

चौधरी हर स्वरुप बूरा : क्या शिक्षा मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जे0 बी0 टी0 ट्रेन्ड हैं और ओवर–ऐज हो चुके है या होने वाले हैं, क्या जब भी. वेकैन्सीज निकलेंगी तो उनको ऐज में कुछ रिलैक्सेशन दी जायेगी?

कर्नल राव राम सिंह : जे0बी0टी0 जो अन एम्पलायड हैं या जो एडहाक बेसिज पर लगे हुए? है क्या आप उनकी बात कर रहे हो?

चौधरी हर स्वरूप बूरा : जो अन एम्पलायड हैं ।

कर्नल राव राम सिंह : पहली जो सरकार थी, वह तो सभी टीचर्ज को एडहाक बेसिज पर एम्पलाय करती रही है । अब जब से जनता सरकार आयी है, उसकी पालिसी यह है कि जो एडहाक बेसिज पर टीचर्ज लगे हुए थे, उनको कन्फर्म या रैगुलर करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं । उसके बाद जो वैकेन्सीज

निकलेंगी, वह एस0एस0एस0 बोर्ड को मेजी जायेंगी । एस0एस0एस0 बोर्ड उनको एडवर्टाइज करेगा और उसके बाद जो सिलैक्शन सिस्टम है, उसके अनुसार उनकी सिलैक्शन की जायेगी ।

चौधरी भजन लाल : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो तीन प्राइमरी से मिडल स्कूल अपग्रेड किये गये हैं और जो मिडल से हाई स्कूल अंपग्रेड किया गया है उन स्कूलों के नाम क्या हैं और किस एम 0 एल0 ए0 के हल्के में पड़ते है?

कर्नल राव राम सिंह : स्कूलों के नाम या गांवों के नाम ऐसे हैं रू हिसार डिस्ट्रिक्ट के नाम है, एक तो गुडाना, बढावड, लहंरीयां । यह किस एम0 एल0 ए0 के हल्के में आते हैं यह इस वक्त मैं नहीं बता सकता । अगर यह सैपरेट सवाल में पूछें तो बताया जा सकता है । रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो प्राइमरी से मिडल स्कूल अपग्रेड हुआ है यह तुम्बाहेडी गांव में है । इसके अलावा जो स्कूल मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड हुआ है यह हिसार डिस्ट्रिक्ट में अहरवान गांव में है ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी पहली जुलाई, 1977 तक का क्राइटेरिया बताया है कि इस समय तक यह क्राइटेरिया रहा है और यह 5 स्कूल अपग्रेड किये हैं जिनमें से 4 हिसार डिस्ट्रिक्ट में हैं और एक रोहतक डिस्ट्रिक्ट में

है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस क्राईटेरिया के अन्दर कुछ और स्कूल भी हरियाणा के आते थे जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते थे ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, यह स्कूल जो अपग्रेड किये गये हैं, यह जब से मैं शिक्षा विभाग की सर्विस कर रहा हूं उससे पहले की बात है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ पैसा सब्सक्राइब किया हुआ था । लेकिन मैं डैफिनिट आन्सर इस बारे में पोजीशन क्चौरीफाई करने के बाद ही दे सकता हू । जहां तक मेरा ख्याल है बाकी शर्तें मीट करने के बाद शायद कुछ पैसा इन्हेंने सब्सक्राइब किया था । इसलिये इनको प्रायरिटी दी गयी । जैसेकि मैंने कहा है कि इसका डैफिनिट जवाब मैं अमी नही दे सकता ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, इन्होंने पहले और जवाब दिया था, अब और दे रहे हैं, मुझे तो यह कन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जो पुरानी सरकार ने देहात वाजों को खराब करने के लिये क्राइटेरिया बना खाया कि कि बिल्डिंग दो पौर जमीन दो, क्या यह सरकार उप पाबन्दी को खत्म करेगी और जहां पर जरूरत है, वहां पर स्कूल आप्रेड किये

जायेंगे? मेरे विचार में अपग्रेडेशन के मामले में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिये ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से माननीय सदस्य सन्त कंवर जी ने जो बात यह कही थी कि मिनिस्टर साहब अपना जबाव ही कन्ट्राडिक्ट कर गये, का जवाब देना चाहता हूं । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं मैंने बिल्कुल भी कन्ट्राडिक्ट नहीं किया है । जनता सरकार ने पावर में आने के बाद कोई फन्ड नहीं त्रिया है जबकि पहनी सरकार ने उनसे पैसा भी लिया, जमीन भी ली और बिल्डिंग भी ली । लेकिन मैं उन्हे यह तक कहता हूं कि इस सरकार ने पावर मों आने के बाद किसी भी देहात से कोई पैसा नही लिया है । जो दलाल. साहब ने यह पूछा है कि बिल्डिग और जमीन की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त तो पालिसी यह है कि जो कोई भी` हूल अ ह हए ड करवाना चाहते है, वे बिल्डिग बनायें और कुछ जमीन दे और आज भी यह कायदा चलता आ रहा है । अगर हम इसको चेन्ज करते हैं तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन विभाग पर फायनैशली इतना स्टेरन पड़ जायेगा कि शायद इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमैंट उसे बर्दाश्त न कर सके ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि करनाल जिला जो 'कि स्कूल अगों डिग के मामले में बहुत पीछे रहा है, पिछले कई सालों से वहां पर कोई

भी स्कूल बरोड नही किया गया है, वहां पर काफी स्कू लो की बिल्डिंगें भी खड़ी है और लोग जमीन वगैरह देने के लिये भी तैयार हैं, क्या वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपग्रेड किये जायेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, जो अब स्कूल अपग्रेड किये जा रहे हैं, वह रीजनल इम्बैलैस को दूर करने के लिये और हर जगह इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन के लिये किये जा रहे हैं । तकरीबन हर हल्के में एक–एक स्कूल अपग्रेड हो गया है । तकरीबन ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि हर एक हल्के में एक–एक स्कूल अपग्रेड हो गया है ।

कंवर राम पाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे 'कि जो जे 0 बी 0 टी 0 टीचर्ज अनएम्पलायड हए, वैकैन्सीज न होने की वजह से जो अब ओवरऐज होते जा रहे हैं, क्या जब वैकैन्सीज निकालेगे तो उनको ऐज में कुछ रिलैकसेशन दी जायेगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, ऐसे मामलों पर हमने अभी तक तो विचार नहीं किया है लेकिन अगर कोई रिप्रेजैंटेशन आयेगी तो उसको जरूर कं सिडर किया जायगा ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मै मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि भिवानी जिले में कितने स्कूल आपग्रेड

किये गये हैं और वे कौन–कौन से स्कूल हैं जो अपग्रेड किये गये है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, इस बारे मे अब तो मै नहीं बता सकता लेकिन अगर सैयरेट नोटिस दें तो बता सकता हूं । बै से मै इस वक्त तो इतना ही बता सकता हूं कि हर कांस्टीच्यूएंसी में एक–एक स्कूल अपग्रेड किया गया है ।

श्री कंवर सिह : स्पीकर साहब, कुछ दिन पहले मिनिस्टर साहब ने अपनें जबाब में यह बताया था कि शहरों मे स्कूल अपग्रेड करने के लिये बिल्डिग किराये पर ली जाती है लेकिन आज इन्होंने यह बताया है कि देहातों में अपग्रेड कराने के लिये बिल्डिग देहात वालों से तैयार करवाते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस डिफरैन्स को दूर किया जायेगा कि जो देहात वालों से बिल्डिंग बनवा कर लेते हैं, वह न ली जाया करे?

कर्नल राव राम सिंह : पहले। जो सरकार थी., वह शहरों में बिल्डिंग किराये पर लेती थी और देहातों में बिल्डिंग गांव वालों को बनाने के 'लिये कहा जाता था । यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री देवी दास : सोनीपत शहर में लडकों का कोई गवर्नमैटं हाई स्कूल नहीं है क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कोई गवर्नमैटं होई स्कूल खोलने का सरकार का विचार है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : . क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो स्कूल अपग्रेड करने की प्रोपोजल है क्या उसके आर्डर हो चुके हैं और अगर हो चुके हैं तो क्या सब–डिविजन कैथल में कोई स्कूल अपग्रेड किया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, इस सवाल का अलग से नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा ।

श्री मूल चन्द जैन : मन्त्री महोदय ने प्रश्न के 'इ' भाग के उत्तर में कहा है कि एडहाक टीचर्ज की रेगुलेराइजेशन विचाराधीन है । क्या मन्त्री महोदय बताने की. कृपा करेंगे कि इस प्रोपोजल को इम्पलीमैंट करने मे कितना टाईम लगेगा?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, इनको रेगुलर करने का प्रोसीजर काफी लम्बा है, मामला बड़ा वास्ट है । एक केस था कि 1971 में 1637 टीचर्ज की डिमान्ड थी. । बीस या पच्चीस हजार ऐप्लीकेशंज आई थी । उस वक्त कोर्ट से स्टे ले लिया गय ५ और वह क्वेश हो गया था । वे सारी ऐप्लीकेशंज यानी 25 हजार ऐप्लीकेशंज फिर कलेक्ट करके उन सब का इंटरव्यू दुबारा किया जाएगा । इसलिए टाइम काफी लगेगा । लेकिन फैसला हो चुका है और प्रोसीजर जारी हो रहा है ।

सरदार सुखदेव सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने सदन में आश्वासन दिया था कि एम0एलं 0ए0 के हल्के में उसकी

कनसेन्ट से स्कूल अपग्रेड किया जाएगा । मुख्य मन्त्री रोडी कांस्टीच्यूएंसी में गए थे और उन्होंने पब्लिक में आश्वासन दिया था कि सुखचौन का स्कूल अपग्रेड किया जाएगा और इसके बारे में चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरी एजूकेशन को उनकीं तरफ से एक डी0 ओ0 नम्बर 740 एन0 दिनांक 16– 11–77 और उसके बाद इस चिट्ठी का रिमाइंडर दिनांक 24–2–78 को गया था लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी ने उस पर कोई अमल नहीं । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर चीफ मिनिस्टर की कनसेन्ट नहीं मानी जाती तो फिर किसकी मानी जाती है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, मै ने कभी यह अश्योरेंस नहीं दी थी कि एम 0 एल0 ए0 की कनसेन्ट से स्कूल अपग्रेड किया जाएगा । यह मैंने कहीं था कि एम0 एल0 ए0 की एडवाइस, सलाह मशविरा जरूर लिया जाएगा । आगे मैने कहा था कि जो डिपार्टमैंट से स्कूल रिकमेन्ड होकर आएगे और जो सब शर्तें पूरी करेंगे उनमें एम0 एल0 ए0 की सलाह–मशविरा जरूर ली जाएगी ।

चौधरी मेहर सिंह राठी : शिक्षा मन्त्री जी ने बताया है कि जो पांच स्कूल अपग्रेड किए हैं उनके लिए पैसा जमा करा रखा था । मेरे हल्के में लुहारहेडी जगह है वहां के लोगों ने 17 हजार रुपया कई सालों से जमा करा रखा है और मैने इस बारे मे 'चिट्ठी भी लिखी थी । क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कूल कब अपग्रेड किया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, अगर कोई ऐसा केस है जहां पैसा जमा किया गया है और वह रूल्ज और रेगुलेशंज के अनुसार है तो उस स्कूल को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमैंट बाउन्ड है लेकिन वह सारी शर्तें पूरी करता हो ।

श्री फतेह चन्द विज : मन्त्री महोदय ने सवाल के 'अ' भाग के उत्तर ने बताया है कि कोई कालिज नहीं खोला गया । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में सरकार का कोई कालिज खोलने का विचार है और अगर है तो कहां खोलने का विचार है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, इस सवाल का मुख्य सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है अगर अलग से नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा ।

श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन हल्कों में प्राईमरी से मिडिल स्कूल देने की आवश्यकता है और मिडिल स्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूल देने की आवश्यकता है क्या उन हल्कों की आवश्यकता पूरी की जाएगी?

कर्नल राव राम सिंह : जो इस वक्त सैन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी है, स्टेट गवर्नमैंट की भी वही पालिसी होगी । इस वक्त प्राईमरी एजूकेशन, अडल्ट एजूकेशन और नान–फारमेशन

एजूकेशन देने की पालिसी है उसके बाद हायर सैकेन्डरी और हायर एजूकेशन पर ध्यान दिया जाएगा ।

श्री हीरा नन्द आर्य : मन्त्री महोदय ने बताया है कि जे 0 बी0 टी0 टीचर्ज को रैगुलर करने का तरीका तय किया गया है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनको रैगुलर करने का क्या तरीका तय किया गय.। है?

कर्नल राव राम सिंह : अगर ये सैपरेट नोटिस दें तो मै पूरा प्रोसीजर आपके सामने रख दूं गा । इस वक्त यह सूचना मेरे पास नही है ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने रतिया में एलान किया था कि वहां का मिडिल स्कूल हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिया जाएगा । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस पर अमल किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : नई लिस्ट आने दो फिर बात कर लेना ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, 197 8– 79 में जो स्कूल अपग्रेड करने हैं उनकी लिस्ट फाइनेलाइज हो चुकी है । आप कई दफा मेरे पास आ चुके हैं और मैंने वह लिस्ट आपको दिखा भी दी है । अगर अब भी आपको शान्ति नही होती तो आप फिर आ जाए ।

कामरेड शंकर लाल : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सिरसा क्षेत्र के अन्दर अब भी कोई स्कूल दरख्त के नीचे लगता हे?

कर्नल राव राम सिंह : अगर अलग से नोटिस देंगे तो यह इन्फरमेशन क्लैक्ट करके बता देगें ।

चौधरी देस राज : स्पीकर साहब, मेरे हल्के के लोग सौ एकड़ जमीन एग्रीकल्चर कालिज को देने के लिये तैयार हैं । क्या सरकार वहां पर एग्रीकल्चर कालिज खोलने के लिये तैयार है?

कर्नल' राव राम सिंह : अगर ये प्रोपोजल भेजेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को इनकी दरखास्त विचार के लिए भेज दी जाएगी ।

श्री भले राम : मन्त्री महोदय ने बताया है कि एडहाक जे0 बी 0 टी0 टीचर्ज को रैगुलर किया जाएगा । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टाइपेन्डरी टीचर्ज हैं क्या उनको भी रैगुलर करने की कोई प्रेपोजल सरकर के विचाराधीन है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब मैं दो तीन दफा दे चुका हूं । मेरा कहना यह है कि जो स्टाइपेन्डरी हैं या एडहाक हैंवे हमारे ही बेटे हैं, वे हमारे ही बच्चे' हैं, हरियाणा के लाल हैं और उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि

वे बोर्ड के. सामने आएं या कमेटी के सामने इनके केस दे बे जाएंगे । जो डिजर्व करते है उनको रैगुलर किया जाएगा ।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया कि हम एम0एल 0ए0 को कंसल्ट तो करेगे लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस हालत में एक एम0एल0ए 0 की क्या पोजीशन होगी? (हंसी)

(इस प्रश्न का उत्तर नही दिया गया)

चौधरी लाल सिंह : मन्त्री महोदय ने कहा है कि हर हल्के में एक हाई स्कूल दे रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े इलाकों में जैसे नारायणगढ का है वहां पर भी कोई हाई स्कूल बनाया जाएगा?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जय नारायण : डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अन्दर एक लाली गांव है वहां पर 1929 से लेकर आज तक मिडिल स्कूल चल रहा है । क्या मन्त्री महोदय महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस स्कूल को अपग्रेड करने में प्रायरिटी दी जाएगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, मैं इस सवाल का इस वक्त जवाब नही दे सकता ।

श्री अध्यक्ष : यह लिस्ट आ जाने दो तब देख लेना ।

चौधरी भजन लाल : मन्त्री महोदय ने बताया है कि हर हल्के में एक स्कूल अपग्रेड इस साल किया जाएगा । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि लड़कियों के स्कूल के लिए जहां गांव वाले बिल्डिंग बनाकर दें और सारी कडीशंज पूरी करें तो क्या इन 90 के अलावा वह स्कूल भी अपग्रेड कर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : इन्हेंने कहा था कि उसको प्रैफरैस दे गे ।

कर्नल राव राम सिह : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि लडकियों की पढ़ाई को तरजीह दी जाएगी । इस पालिसी के अनुसार जितने लडकियों के स्कूल हम फाइनैंशियल कैपेबिलिटी को देखते हुए बढ़ा सकते हैं उनको जरूरी बढ़ाएंगे ।

चौधरी ईश्वर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी टीचर्ज को एस0एस0एस0 बोर्ड के थ्रू स्थाई किया जाएगा या विभाग के थ्रु किया जाएगा?

कर्नल–राव राम सिंह : डिपार्टमैंन्टल कमेटी के थ्रू किया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न सं 293

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि माननीय. सदस्य, स्वामी आदित्य वेश, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ।

District Re-organisation Committee

***407. Shri Mool Chand Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the District Re-organisation Committee has submitted its report to the Government; if so, a copy of the report be laid on the table of the House, if not, whether any time limit has been fixed for submitting its report; and

(b) the expenditure incurred so far by the committee referred to in part (a) above ?

Revenue Minister (Shri Pree t Singh) :

(a) Not yet. The Committee is required to submit its report by 2nd May, 1978.

(b) Rs. 3,121.71 have been spent as T.A./D.A. of the members.

श्री मूल चन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने पर उसे हाउस में रखा जायेगा और उस रिपोर्ट पर हाउस का मशविरा लिया जाएगा?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, जब रिपोर्ट आयेगी तो उसके बाद इस बात का फैसला किया जायेगा ।

श्री भले राम : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि गोहाना तहसील जोकि सोनीपत में है, उसको रोहतक में शामिल करने की

सरकार की कोई प्रोपोजल है? इस बारे मैंने इरीगेशन और पावर मिनिस्टर साहब से भी कहा था ।

श्री प्रीत सिंह : इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर इसके चेयरमैन हैं, इस बारे में वे ही बता सकते हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, ऐसा होता है कि जब कोई सरकार की कमेटी बनाई जाती हैं तो उसकी रिपोर्ट हाउस में आती है क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस रिपोर्ट के आने पर इसे हाउस में रखा जाएगा या नहीं?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, इस बारे में मैंने पहले ही बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आने पर इस बात को कंसिडर किया जाएगा कि उसे हाउस में रखा जाएगा या नहीं ।

Improvement Trust Jind

***488. Shri Mange Ram Gupta :** Will the Minister for Industries be pleased to state the reasons for which the previous Improvement Trust at Jind of which Shri Dayakrishan, advocate was the was superseded togetherwith the loss; if any, occurred therefrom ?

Interim Reply

''मंगलसैन अ0 स0 पत्र क्र0 28—ए0 क्यू0—4सी/78

उद्योग मन्त्री

स्थानीय शासन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।

दिनांक 10 मार्च 1 978

विषय :– श्री मांगे राम गुप्ता एम0 एल0 ए0 द्वारा नगर सुधार मण्डल जीन्द को सुपरसीड करने के कारण तथा उससे हुई हानि बारे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 488.

प्रिय,

मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि तारांकित प्रश्न क्रमांक 488 नगर सुधार मंडल जींद को, जिसके अध्यक्ष श्री दया कृष्ण, एडवोकेट थे, सुपरसीड करने के कारण तथा इससे हुई हानि बारे जो श्री मांगे राम गुप्ता एम 0 एल 0 ए0 द्वारा पूछा गया है, का उत्तर विधान सभा में दिया जाना है जिसकी निश्चित तिथि से इस विभाग को अभी सूचित नहीं किया गया है । इस संबन्ध में यह लिखना अनुचित नहीं होगा कि यह प्रश्न अस्पष्ट होने के कारण इसका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं । नगर सुधार मंडल, जींद, जिसके अध्यक्ष श्री दया कृष्ण, एडवोकेट थे, को सुपरसीड करने से जो हानि हुई है उसका अनुमान लगाया जाना सम्भव नही तब तक कि किसी विशेष बिन्दू बारे सूचना की जानकारी का मामला सपष्ट न हो जाये । समस्त स्थिति पर विचार करने के पश्चात् मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह प्रश्न इतना अस्पष्ट तथा विस्तृत है कि इसकी सूचना एकत्रित की जानी तथा उत्तर

दिया जाना सम्भव नहीं जब तक कि प्रश्न का स्कोप स्पष्ट न किया जाये ।

उपर्युक्त स्थिति में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रश्न को उत्तर के लिये स्पीकर करने के मामले पर पुनरू विचार करके उसे उपास्त करने का कष्ट करें । मै यह भी अनुरोध करना चाहुंगा कि तब तक इस प्रश्न के संबंध मे आप द्वारा विचार करके उसे उपास्त करने का निर्णय नही लिया जाता उस समय तक इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये दिनांक 3 1– 3– 78 तक समय बडाने का कष्ट करें ।

सादर

आपका

हस्ता/

(मंगल सैन

)

श्री रण सिंह

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा ।''

Sectional Officers

***310. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of Sectional Officers (Civil and Mechanical) in Public Works

Department having more than five years service and who are yet to be confirmed ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : The information relating to the Sectional Officers (Civil and Mechanical) of all the three branches of Public Works Department, who have rendered more than five years service and who are yet to be confirmed, is given below :—

	Sectional Officer (Civil)	Sectional Officer (Mechanical)
Building & Roads Branch	132	Nil
Public Health Branch	145	26
Irrigation Branch	689	209

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करे गे कि जिन को 5 साल के लगभग नौकरी में हो गये हैं, उनको अभी तके कन्फर्म क्यों नहीं किया गया? उनको कब तक कन्फर्म कर दिया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल पूछा है, यह तीन ब्रांचिज से सम्बन्ध ररवता है और इनकी

फिगर्ज अलग–अलग हैं और अलग–अलग तरीके से ही इनको कन्फर्म करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सरकार की तरफ से क्या उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं है जिन को अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है, क्या उनको जल्दी ही कन्फर्म कर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : उन्हेंने कहा है कि नसैसरी स्टैपस उठाये जा रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, यह तो वेग टर्म है कि नसैसरी स्टैपस लिए जा रहे हैं । हमें तो एग्जैक्ट सूचना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप एग्जेक्ट पूछ लीजिये ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि क्या इन्होंने यह जरूरी नहीं समझा कि कर्मचारियों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है जोकि उनको कन्फर्म नहीं किया जा रहा है! यह कसूर पिछली सरकार का है यह तो हम मानते हैं पर इनको बने भी तो 9 महीने होने लगे हैं! इन को भी कोई कदम उठाने चाहिये ताकि जिन कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रूल है, उनको न्याय मिल सके ।

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

Amount Spent for the Construction of the Office

of the Education Board at Bhiwani

***451. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Education be pleased to state the amount spent so far on the construction of the Office of the Education Board at Bhiwani togetherwith the amount proposed to be spent during the financial year ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) : An expenditure of Rs. 17,47,214 (including Rs. 9,68,100 as cost of land) has been incurred so far. In addition to this, a sum of Rs. 1,27,000 is to be paid as balance payment of Contractors. No further expenditure is likely to be incurred during the remaining period of the current financial year.

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, इस साल सरकार ने भिवानी में बन रही एजुकेशन बोर्ड की बिल्डिग पर और पैसा न लगाने की प्र ओपोजल दी है और यह भी सुनने ने आ रहा है कि एजुकेशन बोड' का दफतर अभी चण्डीगढ से नही उठाया जा रहा है, क्या रें सा करना भिवानी डिस्ट्रिक्ट के साथ ज्यादती नही है और सरकार ने उस बिल्डिग पर काफी पैसा लूज किया है और अब उस बिल्डिग का फायदा क्यों नहीं उठा रहे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, अगस्त 1 977 में सरकार ने यह फैसला किया था कि एजुकेशन बोर्ड का दफ्तर चण्डीगढ में ही रहेगा क्योंकि एजुकेशन बोर्ड और मिनिस्ट्री को आपस में काफी तालमेल रखना पड़ता है इसलिये यह जरूरी समझा गया कि ऐजुकेशन बोर्ड का दफ्तर चण्डीगढ में ही रहे

क्योंकि भिवानी यहां से काफी दूर पड़ता है और बोर्ड और मिनिस्टरी मे आपस में को–आर्डीनेशन वगैरह ने बड़ी डिफीकिलटी आयेगी । जहां तक पैसा लूक करने की बात है ऐसी कोई बात नही है । जहां उस बिल्डिग पर 17,47,214 रुपये की जो राशि खर्च की गई है, उसकी आज मार्किट में कीमत और भी बढ़ गई है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि अगर जब कभी एजुकेशन बोर्ड को चग्डीगढु से उठाया गया तो इस को भिवानी– में ही शिफ्ट किया जायेगा या किसी और जगह पर शिफट किया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : रू स्पीकर साहब, इस वक्त मै यह बतरसने मे असमर्थ हूं । जब बोर्ड को चण्डीगढ से शिफट करने का फैसला किया गया तो उस वक्त इस बात पर गौर किया जाएगा ।

श्री जय नारायण वर्मा : मै मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो बोर्डज और कारपोरेशन्ज हैं क्या उनको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर शिफट करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? अगर सरकार के पास ऐसी कोई योजना अभी विचारा– धीन न हो तो फिर उन बिल्डिग्क का क्या किया जाएगा जोकि इन बोर्डज और कार– पोरेशनज के लिये डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर बना रखी हैं?

कर्नल राव राम सिंह : बोर्डज और कारपोरेशन्ज को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर शिफ्ट करने का जो सवाल है, यह ओवरआल पालिसी मैटर है जिसके बारे मैं अमी कुछ नहीं कह सकता और जहां तक एजुकेशन बोर्ड की इनकम्पलीट बिल्डिग का सवाल है उसके बारे में हमने कई महकमों को जैसे हरियाण। वेयर हाउसिंग, हाउसिंग बोर्ड और पी0 डब्ल्यु 0 डी 0 वगैरह को कहा है कि अगर वे इस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर सके तो हम उन्हें वहां ट्रान्सफर करने के लिये तैयार हैं । अकोमोडेशन की' शार्टेज की कोई बात नहीं है ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, 20 लाख के करीब की लागत से भिवानी. भे इस एजुकेशन बोर्ड के लिये बिल्डिग बनायी गयी है और मन्त्री महोदय इस बारे में जवाब दे रहे हैं कि हम एजुकेशन बोर्ड को वहां अभी शिफ्ट करने नहीं जा रहे हैं । स्पीकर साहब चण्डीगढ में जो बोर्ड की बिल्डिग का किराया है वह इतना ज्यादा है कि जो जें 0 बी 0 टी0 टीचर्ज अपने घर बैठे कुंए, उस किराये से उनकी तनख्वाहें निकल सकती हैं । तो क्या मन्त्री महोदय बोर्ड के दफ्तर को भिवानी में शिपट करेंगे ताकि जो गरीब जनता का पैसा वहां पर लगा हुआ है, उसका सदुपयोग हो सके और जो इतना ज्यादा किराया यहां पर देना पड़ रहा है, उसकी भी बचत हो सके ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, जहां तक उस बिल्डिग का सवाल है वहां पर केवल 15/20 मकान रेजीडेन्शियल

परपज के लिये बने हैं और वह भी अमी छत तक ही पहुंचे है बोर्ड की बिल्डिग का काम अभी शुरू नही किया था । रेजी– डेनशियल विल्डिग्ज लेने के लिये कोई भी तैयार हो जायेगा । जहां तक एजुकेशन बोर्ड को भिवानी में शिफट करने का सवाल है इसके थोरें में मैं पहले ही कह चुका हूं कि एजुकेशन बोर्ड और मिनिस्टरी के बीच का जो तालमेल, कोआर्डीनेशन होता है वह बहुत जरूरी है जितको देखते हुए एजुकेशन बोर्ड का दपतर चण्डीगढ में ही रखने का फैसला. किया गया है । यह ठीक है कि यहां पर बिल्डिग का किराया ज्यादा है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम इस बोर्ड के दफतर को मिनिस्टरी से दूर भेज दें ।

10.00 बजे

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या वजीर साहब फरमाएंगे कि उनकी पालिसी आफिसिज को डी–प्रैन्टूलाइज करने की है या सैन्ट्रलाईज करने की है?

कर्नल राव राम सिंह : जनता गवर्नमैंट की पालिसी डी–सैन्ट्रलाईजेशन की है, लेकिन बार्ड के आफिस को एक जगह से दूसरी जगह शिफट करने की बात का जहां तक ता नुकं है, उसमे सैन्ट्रलाईज और डी–सैन्ट्रलाईज का कोई सवाल पैदा नहीं होता । It is only a question of location of a body at one place or other.इसमें सैन्ट्रलाईजेशन और डी–सैट्रलाईजोशन का कोई ताल्लुक नही है ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या यह बात ठीक है कि गवर्नमैंट ने बोर्ड और कार– पोरेगन्ज को चिट्ठियां लिखी हैं कि आने आफिसिज डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर शिफट करें, अगर यह सत्य है तो लिपट करने में क्या तकलीफ है?

कर्नल राव राम सिंह : ? बोर्ड को चिट्ठियां लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, इसका मूल सवाल के साथ कोई सम्बन्ध नही है ।

श्री लहरी सिंह महरा : मै मन्त्री महोदय से रू छना चाहूंगा कि कई बिल्डिग्ज छतों तक जा चुकी हें लेकिन छतें नहीं पड़ी हुई । क्या मन्त्री महोदय उनकी छतें डलवाने की कृपा करेगे ?

(इस प्रश्न का उत्तर नही दिया गया)

श्री भले राम : स्पीकर साहब, एजुकेशन बोर्ड बच्चों का सब सब्जैक्ट्स में एग्जाम लेता है और पूरी फीस चार्ज करता है । अगर किसी की किसी सब्जैक्ट मे कमपार्टमैंट आ जाती है तो उससे दोबारा पूरी फीस ली जाती है । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह लड़कों के साथ ज्यादती नही है?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

Canals, Distributaries and Minors Constructed

***207. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the district-wise Canals, Distributaries, Minors constructed in Kilometers from 1st July, 1977 to date; and

b) the district-wise total number of tubewells energised from 1st July, 1977 to date ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh)

(a) A statement showing the district-wise length of Canals, Distributaries and Minors in Kilometers constructed from 1st July, 1977 to date is laid on the table of the House.

(b) A statement showing the district-wise total No. of Irrigation tubewells energised from 1st July, 1977 to 31st January, 1978 is laid on the table of the House.

STATEMENT `A'

Statement showing the district-wise length of Canals, Distributaries and Minors in Kilometers constructed from 1st July, 1977 to date.

Sr.No.	Name of District	Length in Kilometers		
		Canals	Distributaries	Minors
	Mohindergarh	22.89	102.94	13.00
	Rohtak	3.00	3.50	-
	Bhiwani	-	9.32	79.90

Hissar	36 00	-	-
Sonepat	-	-	1.07
Sirsa	-	-	7.20
Ambala	1.31	2.00	2.30
Kurukshetra	3.48	-	-
Karnal	6.13	-	-
Total :	72.81	117.76	103.47

STATEMENT 'B '

Statement of district-wise total No. of Irrigation tubewells energised from 1-7-77 to 31-1-78.

Sr.No.	District	No. of Irrigation tubewells energised
	Ambala	617
	Kurukshetra	1146
	Karnal	1969
	Jind	339
	Rohtak	384
	Sonepat	389
	Bhiwani	568

Hissar	328	
Gurgaon	1385	
Mohindergarh		1077
Sirsa		300
Total ;		8502

श्री शमशेर सिंह : मन्त्री महोदय ने जवाब के पार्ट (ए) में जिले दिखाए हैं कि फलाफलां जिले मे फलां फलां काम हुआ है । जींद जिले भे– किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इसकी वजहें क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वहां कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो पहला फेजडप्रोग्राम था, उस में कौन–कौन सी बड़ी नहरें और माइनर दी गई हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . फेजड प्रोग्राम का इससे कोई ताल्लुक नही है । आपको फ्लड स्कीमों के प्रोग्राम की याद रही होगी ।

चौधरी जगजीत सिंह : पोहलू क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस साल कुरूक्षेत्र जिले में कौन–कौन सी माइनर बनाने की प्रपोजल है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसके लिए सैप्रेट नोटिस दें ।

तारांकित प्रश्न संख्या 294

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, स्वामी आदित्य वेश इस समय सदन में उपस्थित नही थे ।

Promotions of Haryana Roadways Employees

***312. Shri Devender Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the avenue of further promotions for departmental officers working in the Haryana Roadways;

(b) whether any of the officers referred to in part (a) above have been given promotion for the last ten years; if so, their names and designations;

(c) the Depotwise profit and expenditure of Haryana Roadways for the years 1976-77 and 1977-78 (upto 31st December, 1977);

(d) the number of buses involved in accidents during the years 1975-76 and 1976-77 togetherwith the loss suffered, by the Government;

(e) the number of persons killed/injured in the accidents referred to in part (d) above togetherwith the amount of compensation paid by the Haryana Roadwyas; if no compensation was paid, the reasons therefor, alongwith the steps taken to ensure safe running of the Roadways fleet in future;

(f) the number of conductors/drivers who have not been supplied uniforms so far;

(g) the number of passengers found travelling in Haryana Roadways buses without tickets during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 (upto 31st December, 1977) separately;

(h) whether the agreement reached between workers of Haryana Roadways and the Government on 15th August, 1973 has been implemented, if not, the reasons therefor; and

(i) the steps taken by the Government to vacate victimisation of workers during Emergency ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Jagan Nath) :

(a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c)

Name of depot	Total profit		Total expenditure	
	1976-77	1977-78	1976-77	1977-78
	(Rupees in lakhs)			(Rupees in lakhs)

H.R. Ambala	13.10	6.48	340.99	291.50
H.R. Gurgaon	10.63	4.74	354.14	286.18
H.R. Chandigarh	19.08	17.75	244.00	212.03
H.R. Rohtak	(-)2.05	(-)14.25	321.28	256.21
H.R. Karnal	34.71	22.23	263.14	222.84
H.R. Hissar	35.34	8.79	351.51	316.69
H.R. Rewari	(-)7.90	(-)12.41	217.03	175.64
H.R. Jind	(-)0.50	(-)4.54	192.83	167.40
H.R. Bhiwani	0.13	(-)6.37	195.23	169.84
H.R. Kaithal	5.35	7.43	214.50	185.30

(d) & (e) Statement-II is laid on the Table of the House.

(f) Conductors 180

Drivers 213

(g) The number of passengers found travelling without tickets in Haryana Roadways buses is as under :-

1975-76	1976-77	1977-78(31-12-77)
19198	19165	15388

(h) The following major demands in the agreement dated 15-8-1973 between the workers of Haryana Roadways

and the Government have been fully met :-

(1) Issue of free family passes.

(2) Payment of gratuity.

(3) Payment of ex-gratia.

(4) Creation of posts of Head Carpenter/Head-Blacksmith.

(5) Provision of uniforms/shoes.

(6) Payment of overtime to Inspectors/Chief Inspectors/Gunmen and Chowki dars, etc.

(7) Conversion of temporary posts to permanent ones and transfers etc.

However, some of the demands mentioned in the said agreements namely, revision of norm of staff, revision of pay scales of some of the categories of staff, finalisation of departmental rules and provision of colonies for Haryana Roadways workers etc. are under the active consideration of the Department.

STATEMENT-I

Statement showing the avenue of further promotion for departmental officers working in Haryana Roadways and names and designations of officers who have been promoted during the last ten years.

(a) In the Transport Department Rules, the avenue of further promotions for the following departmental officers

working in Haryana Roadways are provided :—

(i) From General Manager to the post of Deputy Transport Controller (T&C).

(ii) From the post of Traffic Manager/Works Manager to the post of General Manager.

(iii) Assistant Accounts Officers working in Haryana Roadways are on deputation from Finance Department. They have their channel of promotions from their department.

(iv) For the posts of Store Purchase Officers, no avenue of further promotion is provided.

(b) (i) Shri R.N. Sawhney From the post of General Manager to the post of Deputy Transport Controller (T&C) in 1970.

(ii) Shri B.S. Khurana From the post of General Manager to the post of Deputy Transport Controller (Stores) in 1969.

(iii) Shri IC. Prasher From the post of General Manager to the post of Deputy Transport Controller (Stores) in 1971.

(iv) Shri D.S. Kohli From Traffic Manager to the post of General

Manager in 1968.

(v) Shri J.C. Prasher From the post of Traffic Manager to the post of General Manager in 1969.

STATEMENT—II

Statement showing the total number of buses involved in accidents during the years 1975-76 and 1976-77 togetherwith the loss suffered and the number of persons killed/ injured in accidents and amount of compensation paid to them.

	1975-76	1976-77	Steps taken tc safe running of the Roadways fleet
(i) No of buses involved in accidents	254	301	1. The Police have been instructed to lay-speed traps more frequently to curb over speeding and deal with defaulting drivers more severely.
(ii) Persons killed	15y	188	2. Driving licences are issued after

			rigorous test. These are issued to those who are not only good at driving but are also fit physically, mentally and morally.
(iii) Injured	231	330	3. Inspection of vehicles is enforced strictly and defective and mechanically unsound vehicles are eliminated.
(iv) Loss suffered by Govt.	4.63 Lakhs	7.94 Lakhs	4. Construction of bye-passes has resulted in reducing the number of accidents. Such bye-passes are being constructed where they do not exist at present.
(v) Compensation	5.67	4.63	5. Mobile Petrols exercise vigilance on

paid	Lakhs	Lakhs	High-ways and keep the drivers mindful of watch kept by the police. 6. Road signs and signals have been dis-played at all the corners and crossings, which are visible to the motorists from distance. 7. Speed Governors have been fitted in the buses of Haryana Roadways to avoid overspeeding.

स्पीकर साहब, यह सवाल बहुत लम्बा है । इसके (ए) से (आई) तक पार्ट हैं । अगर आरा देखे तो सारे सवाल एक ही जगह इकट्ठे कर रखे हैं । भविष्य में आप ऐसे सवाल एडमिट न किया करे ।

श्री अध्यक्ष : मै मेम्बर साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि आपदा छोटे–छोटे सवाल रखे । नौ–नौ पार्ट हो जाने से बड़ी मुश्किल हो जाती है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, लम्बा सवाल नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपने हुक्म किया । यह सवाल लम्बा नहीं है । डसके छोटे छोटे प्वायंटस. हैं । मै सप्ली– मेंटरी ज्यादा नहीं पूछूं गा, एक दो ही पूछूगा क्योंकि आज असैम्बली का सैशन खत्म होने वाला है, वर्ना मैं इन कि गर्ज को चौलेंज करता जो सवाल के जवाब में दी हुई है । आप डिपार्टमैंट से पूछ लें कि ये फिगर सही हैं या गलत । हरियाणा में आपने 10 जनरल मैनेजर एच 0 पी0 एस 0 आफिसर लगा रखे हैं जबकि रूल्ज के मुताबिक 20 परसैंट डायरैक्ट रिक्रूटमैंट के जरिए से और दूसरे डिपार्टमैंटस से ट्रांस्फर करके लगाए जाने चाहिएं और 80 परसैंट बाई–प्रमोशन, टैक्नीकल आफिमर्ज को प्रमोट करके लगाए जाने चाहिएं । 1968 मे श्री पराशर और 1969 में श्री कोहली, इन दो आदमियों को प्रमोट किया गया । बाकी सब बाहर से लिए गए हैं, किसी की प्रमोशन नही हुई । (व्यवधान) क्या मन्त्री महोदय रूल्ज के मुताबिक प्रमोशन करेंगे?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, राय बहादुर बंसी लाल ने 1969 के अन्दर यह रूल बनाया था । (व्यवधान)

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : किस टोडी का नाम ले लिया आपने.... (हंसी)

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, चाहे बंसी लाल से कितनी ही खिलाफत हो, ऐसी बात कह कर हाउस की शान को बट्टा न लगाएं ।

श्री अध्यक्ष : यह अच्छी बात है ।

श्री जगन नाथ : 1969 ने रूल बनाया कि जी0 एम 0 की पोस्ट पर एच0 सी 0 एस0 आफिसर होंगे । इससे पहले 80–20 की परसैन्टेज थी । हम इसके बारे मे गम्भीरता से गौर कर रहे हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब, आपके कुछ टैरफिक मैनेजर्ज और वर्कशौप मैनेजर्ज अपनी सर्विस कंडीशंज पूरी कर चुके हैं । आपने कहा तो है कि गौर करेंगे लेकिन मै समझता हूं कि वह गौर तो आप जब करेंगे तब करेंगे परन्तु चूकि आप मेहनती आदमी हैं इसलिए मैं आपसे प्रार्थना' करना चाहता हूं कि जो फैक्टस आपने दिए हैं इनको आप दुबारा जरूर चौक कर लें ।

श्री जगन नाथ : फैक्टस तो आम तौर पर सही ही आते हैं लेकिन अगर वैसी बात हुई तौ चौक कर लेंगे ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : स्पीकर साहब, मै चीफ पार्लियामैन्टरी' सैक्रेटरी साहब से यह जानना चाहता हूं कि पार्ट (ई) के जवाब में जो इन्होंने कहा है कि 19 हजार और 15 हजार के करीब पैसेन्जर्ज विदाउट टिकट चलते हैं, इस इररैगुलैरिटी को रोकने के लिए इन्होंने क्या मैयर्ज अडौप्ट किए हैं?

श्री जगन नाथ : इसके लिए हमारे पास इंस्पैक्टर्ज होते हैं, फ्लाइंग स्कैवडज होते हैं और दूसरे औफिसर्ज तथा जी0 एम0 वगैरह भी चौकिंग करते रहते हैं ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब ने अभी बताया कि पिछली सरकार ने प्रमोशन के कायदे की खिलाफवर्जी करके नया कायदा बनाया था । क्या वे बताएंगे कि इस ज्यादती को कब तक दूर करेंगे क्योकि आठ महीने से तो यह अभी दूर नही हो पाई है?

श्री जगन नाय : इसके लिए टाईम फिक्स नही कर सकते । यह पालिसी मैटर है इसलिए सी 0 एम 0 साहब और दूसरे मन्त्रीगण से 'मिल कर बात करनी पड़ेगी ।

श्री दीप चन्द भाटिया : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ पार्लियामैन्टरी' सैक्रेटरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो इन्होंने विदाउट टिकट चलने वारनों की फिगर दी है यह हमारी जनता पार्टी की हकूमत में कैसे बढ. गई? क्या इसकी. तरफ खास ध्यान दिया जाएगा? (विध्न)

श्री जगन नाथ : बड़ी नहीं है बल्कि थोड़ी हुई है' ।

श्री दीप चन्द भाटिया : फिर यही बता दें कि थो डी' कै से हो गई? (विघ्न एवं हंसी) ।

श्री जगन नाथ : यह हमारे ओर्फिसैर्ज की ऐफिशिएंसी है जिसकी वजह से यह थोड़ी हो गई । (प्रशंसा)

श्री जब नारायण वर्मा : क्या चीफ पार्लियामैटरी सैक्रेटरी साहब बतांएगे कि बिना टिकट यात्रा को ओर दूसरी इररैगुलैरिटीज को रोकने के लिए रोडवेज के ऐम्प– लाइज को कोई पारितोषिक या इंसैन्टिव वगैरह दिए जाते है?

श्री जगन नाथ : हम इस्पैक्टर्ज अ ओर ड्राईवर्ज वगैरह को इनाम देते हैं ।

मास्टर शिव प्रशाद : स्पीकर साहब, अभी चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब ने बताया कि काफी दुर्घटनाए हुई हैं । क्या वे बताएंगे कि ऐं से कौन से स्टैप्स उठ! एर गए हैं ताकि आगे दुर्घटनाएं भी कम हों और सरकार को हानि भी कम हो?

श्री जगन नाथ : इसके लिए काफी मैयर्ज उठाए जा रहे हैं । ओवर स्पीड रोक ने के लिए ड्राईवर्ज को टेर निंग दी जाती है । ?? डगांव में हमारा एक टेर निंग सैन्टर है । उसमे यह देखा जाता है कि आया वे आया फिजिकली, मैन्टली और स्परिचुअली तैयार है या नहीं हैं । बाई–पासिज की वजह से भी कुछ

एक्सिडैन्टस कम हुए है । इसके अलावा मोबाइल पैट्रोल होतीं है, उससे भी काफी फर्क पड़ा है । रोड साइन्ज एंड सिगनल्ज लगाए जीते हैं । उनसे भी ऐक्सिडैन्ट कम होते है । इनके अलावा वसिज. में स्पीड गवर्नर्ज भी लगाए जाते हैं ।

श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया : क्या चीफ पार्लियामैटरी सैक्रेटरी साहब बताएंगे कि ड्राईवर्ज जो शराब पीकर के गार्डो चलाते हैं उसके कारण ऐक्सिडैन्ट नही हो सकते?

श्री जगन नाथ : हो सकते हैं । यह कारण भी हमारे नोटिस में आया है । ऐसा करने वाले को हम सजा देते हैं ।

कंवर राम पाल सिंह : स्पीकर साहब, चीफ पार्लियामैन्टरी' सैक्रेटरी साहच ने अभी बताया कि गुडगांव टेर निंग सैन्टर में मैन्टल फिजिकल– और स्परिचुअल टेर निंग दी जाती है । लेकिन क्या वे बताएंगे कि यह टेर निंग ड्राईवर्ज को भर्ती करने के बाद दी जाती है और भर्ती के टाईम पर ये सारी चीजे नही देखी' जाती?

श्री जगन नाथ : भर्ती करने के 6 हफते बाद यह टेर निंग देते हैं । उसके बाद भी जो 'निकम्मे ड्राईवर्ज होते हैं उनको समय–समय पर टेर निंग देते रहते हैं ।

श्री मूल चन्द मंगला : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब यह बताएंगे कि हमारी जो बसिज हैं वे खाली चलती हैं लेकिन प्राईवेट बसिज ओवरलोड चलती हैं, इसके बारे में क्या

इन्तजाम किया जाएगा? प्राईवेट बसिज के अन्दर जनरली देखा गया है कि जो ड्राइवर्ज, कंडक्टर्ज होते हैं वे रास्ते में भी सबको बिठा लेते है लेकिन हमारे ड्राईवर्ज कंडक्टर्ज इस बात की परवाह न करके केवल बस अड्डो पर ही बसें रोकते हैं जिसकी वजह से वे खाली चलती हैए ।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, कल बलदेव तायल जी कह रहे थे कि बसें यहां तक ओवर लोड चलती हैं कि छतों पर भी आदमी बैठते हैं और हमारे नोटिस में भी यह बात है कि बसें ज्यादातर ओवरलोड चलती है ।

श्री भले राम : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब बताएंगे कि घाटा कहीं इस वजह से तो नहीं होता कि कडक्टर्ज पैसे ले लेते हों?

श्री जगन नाथ : ऐसी तो कोई बात नही है । हमे हरेक पर डाउट नहीं करना चाहिए लेकिन गड़बड़ कही हो भी जाती है ।

कामरेड शंकर लाल : स्पीकर साहब, बसों के अन्दर लिखा तो यह होता है कि कोई भी पैसैन्जर कंप्लेन्ट बुक में अपनी कंप्लेन्ट लिख सकता है लेकिन कंप्लेन्ट बुक मांगने पर भी नही शई जाती । इसके अलावा क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब बताएंगे कि जो कंप्लेन्टस, कंप्लेन्ट बुक्स में लिखी जाती है उनके बारे में कोई इंक्वायरी भी होती हे?

श्री जगन नाथ : इंक्वायरी होती है और दोषी के विरुद्ध ऐक्शन भी लिया जाता' है ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, बहुत सारे साथियों ने सिर्फ कंडक्टर्ज के बारे में कहा कि वे ऐम्बैजतमैट करते हैं लेकिन मै कहता हूं कि सबसे ज्यादा ऐम्बैजलमैंट रोडवेज डिपार्टमैटं में स्पेयर पार्टस में होती है । हिसार में इसी तरह का एक केस पकड़ा गया है । रोइरेज के दो छोटे छोटे कर्मचारियों ने पचास हजार की ऐम्बैजलमैट पकड– वाई है । स्पीकर साहब, जब एक छोटा कंडक्टर कई बार गलती से फंस जाता है या कोई इस्पैक्टर उसे जानबूझ कर फंसा लेता है तो उसे एकदम सस्पैड कर दिया जाता हैं और आज तक कोई भी ऐसा केम देखने में नहीं आया है जिसमें इस डिपार्टमैट के सैकेटरी साहब ने किसी को रीं–इनस्टेट किया हो । इसलिए मै चीफ पार्लियामैन्टरी सैकेटरी साहब से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह 50 हजार रुपये का ऐम्बैजलमैटं पकडवाया है उनको क्या इनाम दिया गया और जो लोग पकड़े गए हैं उनको क्या सजा मिंत्री है?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, कई आदमी री–इनस्टेट भी किए गए हैं । जहां तक हिसार वाले केस का सम्बन्ध है, इसकी इंक्वायरी करवा रहे है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, गुल्हा के इलाके में बसिज बहुत ओवरलोड चलती हैं जिसकी वजह से उकं

आदमी की मौत भी हो चुकी है । क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैकेटरी साहब. बताएंगे किं इस ओवरलोडिंग को कम करने के लिए वे वहां नई बसों का इन्तजाम कब तक कर देंगे?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, इस महीने के लास्ट तक नई थेसे आ जाएंगी । उनमें से गुल्हा को भी तथा दूसरी जगहों को भी बसें भेजेंगे ।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर जितनी हाई–वेज. हैं और उनके पर जितने गांव बसे हुए हैं वहां से रोडवेज. की बसे सौ किलोमीटर की स्पीड से जाती हैं । स्पीकर साहब, कई जगह स्कूल भी' सड्कों के पर हैं । इसकी वजह से बड़े भारी ऐक्सिडैन्टस होते हैं । इसलिए मै चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी' साहब से यह पूछना चाहूंगा कि यदि कोई गांव वाले यह लिख कर दें कि वहां स्पीड ब्रेकर लगाए जाए तो क्या सरकार वहां स्पीड ब्रेकर लगवाएगी?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, यह महकमा **चौधरी** वीरेन्द्र सिंह जी का है, व इसका जवाब देना ।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : यदि लिख कर देंगे तो लगवा देगें ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहब ने अभी बताया कि पिछली सरकार ने जिन लोगों की प्रमोशन होनी चाहिए थी उनको प्रमोशन नहीं दी और इस सम्बन्ध में जो रूल बने हुए हैं उनको फालो नही किया । क्या वे विश्वास 'दिलाएंगे कि जिन लोगों की प्रमोशन होनी थी उनकी जल्दी से जल्दी प्रमोशन की जाएगी?

श्री जगन नाथ : इस बारे में आपको पहले भी जवाब दिया है कि जल्दी गौर कर रहे हैं ।

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मन्त्री महोदय नोटिस में ऐसी कोई कम्पलेंट आयी है जहां पर किसी कन्डक्टर ने यह कहा हो कि चौकिंग वाला स्टाफ करप्शन करने के लिए मजबूर करता है ।

श्री जगन नाथ : मेरे नोटिस मे तो ऐसी शिकायत नहीं आयी है । आपके पास आयी हो तो बता दे ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात आयी है कि जो इन्सपैक्टर चौकिंग पर जाता है उसको पीट दिया जाता है, उसकी पुलिस भी मदद नहीं करती है, उनकी सेफटी का कोई प्रबन्ध नहीं है, इसलिए वे जो चौकिंग करते हैं, उनकी वे कम्पलेन्ट प्री नही करते हैं ।

श्री जगन नाथ : कई बार ऐसी घटनायें होती हैं, इन्सपैक्टर को ड्राइवर और कन्डक्टर मिल कर पीट देते हैं । इस बारे में प्रबन्ध किया जा रहा है ।

मास्टर शिव प्रशाद : ऐसा देखने में आता है कि प्राइवेट बसों के एक्सीडेन्ट भी कम होते हैं पौर खराव भी कम होती हैं, क्या उसका कारण यह नहीं है कि एक ही ड्राइवर उस बस को चलाता है इसलिए वहां पर एक्सीडेन्ट भी कम होते हैं और बसें खराब भी कम होती हैं । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यहां पर भी इस प्रैक्टिस को फालो करने पर विचार करेंगे?

श्री जगन नाथ : प्राइवेट बसों के एक्सीडेन्ट कम होते हों और राष्ट्रीयकृत बसों के ज्यादा होते हों, ऐसी बात नहीं है । जान–बूझ कर कोई एक्सीडेन्ट नही करता । कभी ब्रेक फेल होने से या किसी पुर्जे के फेल हो जाने से भी एक्सीडेन्ट हो जाते हैं । जान–बूझ कर कोई नही करता ।

चौधरी गया लाल : गुडगावां डिपो में 25–28 बसे रिजैक्ट हुई पड़ी हैं लेकिन वे रिजैक्टिड बसे ही चल रही हैं । जिन बसों के शीशे टूटे हुहु हैं, लाईट नही हैं वे बसें भी वहां पर चल रही है, उनमें किसी भी वक्त खतरा हो सकता है तो मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि उस डिपो में कब तक

इन बसों की मुरम्मत हो जायेगी और कब तक नयी बसें वहां पर पहुंच जायेंगी?

श्री जगन नाथ : . हरेक डिपो मे मुरम्मत जारी है, उनको ठीक किया जाता है जहां तक पुरानी बसों को रिप्लेस करने का सम्बन्ध है उनको हम जल्दी' ही रिप्लेस कर रहे हैं ।

साथी अयोध्या प्रशाद : मंत्री महोदय के पास कुछ शिकयतें प्राप्त हुई हैं कि ड्राइवर से शराब पीने के कारण एक्सीडेन्ट हुए हों । ऐसी शिकायतें कितनी आयी हैं और उनके पर क्या एक्शन लिया गया है?

श्री जगन नाथ : आग इस बारे में नोटिस दे दें जवाब दे देंगे लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि शराब पी कर गाड़ी चलाने वाले ही एक्सीडेन्ट करते हैं, दूसरे भी करते हैं ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि कई बार ड्राइवर के शराब पीने की वजह से ही एक्सीडेन्ट होता है, क्या ऐसा हुक्म जारी करेंगे कि ड्राइवर शराब पी कर गाड़ी न चलायें ताकि एक्सीडेन्ट कम हों?

श्री जगन नाथ : कोशिश की जाती है कि शराब पी कर गाड़ी न चलायें लेकिन फिर भी कोई न कोई डूब ही लेता है ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मंत्री महोदय के नोटिस मेंयह बात हैकि वर्कशाप में बसों की अच्छी तरह से मुरम्मत नहीं होती

है इस कारण से ब्रेक–डाउन होती है, क्या इस बारे में इन्कवायरी की हे?

श्री जगन नाथ : इन्कवायरीं तो चलती ही रहती हैं । ज्यादा से ज्यादा गौर किया जाता है कि वर्कशाप में मुरम्मत ठीक तरह से हो, सामान पूरा लगे और बसें साफ सुथरी रखी जायें ।

श्री फतेह चन्द विज : जैसा कि मन्त्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि बसें ओवर लोडिड चलती हैं क्या मंत्री जी ने आदेश जारी किये हैं कि ओवर लोडिंग जुर्म है?

श्री जगन नाथ : 25 परसैन्ट तक तो ओवर लोडिंग अलाउड है । बाकी थोड़ी बहूत वैसे भी हो जाती है ।

श्री जय नारायण वर्मा : भूतपूर्व मुख्य मंत्री **चौधरी** बंसी लाल ने सडकों पर जो शराब के ट्रेके खोले रखे हैं उनके सामने राज्य परिवहन की बसें और प्राइवेट बसें रोकी जाती हैं जबकि इन्सट्रक्शन है कि उनके सामने नहीं रोक सकते लेकिन इसके बावजूद भीं वहां पर रोकी जाती हैं और वहां से लोग शराब खरीदते हैं । अगर उनको ऐसी जानकारी है तो उन्होंने क्या कदम उठाये हैं?

श्री जगन नाथ : जानकारी भी है और देखा भी है । हम कोशिश कर रहे है कि वहां पर बसों को न रोकें ।

स्वामी अग्निवेश : मेरे हल्के में एक रसीना गांव पड़ता है, उस के बीच में से सडक जाती है और बाई–पास भी बना हुआ है लेकिन बसों वाले कभी भी बाई–पास का इस्तेमाल नहीं करते हैं । छ महीने हुए मैंने विभाग को लिख कर भी दिया था लेकिन परिणाम वहीं का वहीं रहा, वहीं से बसें गुजरती है । पिछले दिनों गुजरती हुई बस के नीचे दब कर एक बच्चा मर गया । तो क्या बाई–पास से गुजरने के आदेश जारी करेंगे?

श्री जगन नाथ : हमारे आदेश बाई–पास के हैं । अगर कोई उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाता है ।

श्री मूल चन्द जैन : मैं चीफ पार्लियामैंटरी सचिव महोदय से पूछना चाहता है कि एमरजेन्सी के दौरान रोडवेज के कितने आदमियों को विक्टेमाइज किया गया और उन विक्टेमाइजड व्यक्तियों के बारे में सरकार ने क्या किया है?

श्री जगन नाथ : तीन कर्मचारी हमारे साथ जेल में थे । उनको बहाल कर दिया है ।

चौधरी संत कंवर : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बतायेंगे कि 15–8– 73 को रोडवेज के वर्करों के साथ एक समझौता हुआ था कि रेजीडेन्शियल क्वार्टर बना कर देंगें, तो ये रेंजिइएन्शियल क्वार्टरज कब तक देने जा रहे है?

श्री जगन नाथ : पालिसी के हिसाब से उनकी मांग को मान रखा है कि हरेक डिपो पर क्वार्टर होने चाहिएं लेकिन पैसे की कमी के कारण नही बना सके । वैसे जल्दी से जल्दी क्वार्टर बना दिये जायेंगे । हमने पचास क्वार्टर जीन्द के अन्दर लिए हैं उनको जल्दी ही दे दिया जायेगा ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : जिस प्रकार से मूरथल अड्डे को अब बन्द कर दिया गया है लेकिन अब भी वही पर बस खड़ी होती हैं और वहां से लोग शराब खरीदते हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे? दूसरा सप्लीमैंटरी मेरा यह है कि इस डिपार्टमैंट मे रिजर्वेशन कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री जगन नाथ : पहले सवाल का जवाब तो यह है कि ये ठेकेदार जो होते हैं चाहे वह किसी भी महकमे का हो वे इनको ब्राडब करते हैं । उनको कहते हैं कि यहां पर बस को रोको, वे इस लालच में रोकते हैं कि कुछ चीज मिल जायेगी इसलिए रोकते रहते हैं । हम चौकिंग करते हैं लेकिन फिर भी रोक लेते हैं ।

दूसरे सप्लीमैंटरी का जवाब यह है कि गवर्नमैंट की जनरल पालिसी है कि हरेक डिपार्टमैटं में 20 परसैन्ट रिजर्वेशन है । जो भी कमी है उसको पूरी करेंगे ।

Committee on Property Tax

***408. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for

Industries

be pleased to state—

(a) whether the Committee en Property Tax has submitted report; if so, a copy of the report be laid on the table of the House; and

(b) the expenditure so far, incurred by the said Committee ?

Finance Minister (Chaudhri Satbir Singh Malik) :

(a) Yes. The Report of the Committee is under consideration of the Government and as soon as Government have taken a decision, the report will be laid cn the table of the House.

(b) No expenditure has been incurred.

श्री मूल चन्द जैन : मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट जो सरकार को मिल चुकी है उस पर कब तक निर्णय हो जायेगा?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : मैंने जवाब दिया है कि कंसिडर कर रहे हैं । जल्द ही एक्शन लेंगे । आप भी तो उस कमेटी के मैम्बर थे ।

श्री फतेह चन्द विज : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट उनको कब मिंली है?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : यह दस–पन्द्रह दिन पहले ही मिंत्री थी । इसलिए अभी इस पर विचार किया जा रहा है ।

चौधरी गंगा राम : अध्यक्ष महोदय जनता पार्टी ने अपने संविधान की धारा में सम्पत्ति के सरकारीकरण के बारे में 'लिखा है तो क्या उस धारा पर यह सरकार अमल करेगी ?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : यह क्वैश्चन सैपरेट है ।

श्री मूल चन्द जैन : पिछली सरकार ने हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स के बारे में निर्णय लिया था कि हाउस टैक्स नहीं लिया जायेगा, केवल प्रापर्टी टैक्स लिया जायेगा । तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कमेटी ने क्या निर्णय लिया है कि इनमें से कौन–सा लिया जायेगा?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : पिछली सरकार ने हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स एक कर दिया था । इसलिए एक कमेटी रिव्यू करने केलिए, विचार करने के लिए बनायी थी, वह मामला गवर्नमैंट के अन्डर कंसिडेरशन है ।

चौधरी पीर चन्द : जैसे हरियाणा प्रदेश के सिवाए दूसरी स्टेटस में एक ही टैक्स है, क्या हमारी सरकार भी हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स में से एक टैक्स लगायेगी?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब अभी यह जो एक्ट है खत्म हो गया है । पुरानी सरकार खत्म कर गई थी ।

इसे कंसिडर किया जा रहा है । अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री दीप चन्द भाटिया : स्पीकर साहब मै आपके द्वारा फाइनैन्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि फरीदाबाद के अन्दर जो प्रापर्टी टै क्य लगाया जाता है उसके साथ ही हाउस टैक्स भी लगाया जाता हैय वहा पर दोनों टैक्स लगे हुए हैं, जितना टैकस लगा हुआ है उतना किर भी नहीं बनता है तो क्या वहां पर अफसरान ठीक ड' न से टैक्स लगायेगे?

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : कमेटी की रिपोर्ट अभी तक गवर्नमैंट के अन्डर कसिडेरशन है । क्या टैक्स लगे गा, वह बाद में हाउस में ले डाउन कर दिया जायेगा ।

Mr. Speaker : Question hour is over.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Combine Harvesters of Haryana Agro Industries Corporation

129. Shri Sumer Chand Bhatt : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Haryana Agro Industries Corporation has sold at a throw away price, a major part of the fleet of its Combine Harvesters, Tractors a rd other valuable Farm Machinery to persons who are closely associated or related with some of former furction aries of the

Corporation ;

(b) whether the State Government is convinoed of the bonafides of the above transaction and if not, the action taken or proposed to be taken in bringing to book the guilty persons responsible for this organised loot of the resources of public institutions and for crippling the very existence of the Corporation; and

(c) the specific steps if any, proposed to be taken by the State Government to restore the Corporation to its normal health and to make it an effective instrument of service for the Farmers of the State ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) No. The Combine Harvester, Tractors and other uneconomical and surplus Agricultural Farm Machinery were sold by the Corporation through public tenders/cptn public auction to the highest tender/bidder at a price which was more than the minimum acceptable price fixed by the Corporation. Thus there was no likelihood of alloting the machinery to those closely associated or related with some of the functionaries of the Corporation.

(b) Yes. The disposal of the Machinery was done as per established procedure. There being no violation of any rules/procedure, the question of taking any action against anybody does not arise.

(c) Necessary steps to improve the working of the Corporation, are being taken at appropriate levels.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Shri Shamsher Singh : I want to rise on a point of procedure....

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of theRule 'Sittings cf the Assembly', indefinitely.

Rao Birender Singh : On a Point of Order, sir. At zero hour i.e. immediately after the Question Hour he (Chaudhri Shamsher Singh) wanted to take up a point of procedure, with your permission. Do I take it that you will allow him afterwards considering the zero hour continuing ?

Mr. Speaker : Every thing is to be with the permission of the Chair. He could have mentioned to me earlier if there was anything serious so that we could know it. Yesterday we lost so much of time.

Rao Birender Singh : Losing time on other matters is one thing and unless you know what we are going to say, it should not go against us. Because yesterday time was lost, it should not be lost today even on an important matter.

Mr. Speaker : I will give you a little time later.

चौधरी रिजक राम : टाइम लौस्ट तो नहीं हुआ, बड़ा अच्छा फोटो आ गया अखबारों में ।

Mr. Speaker : Thank you.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो मोशन है, इसको यह हाउस कैसे स्वीकार करे? एक बिल के बारे में तो अभी अभी उसकी इंन्फ– मेंशन आयी है जो कि इस हाउस में सरकुलेट हुई है और यह है पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978 । इसको अभी इन्ट्रोडयूस किया जाये, अभी कंसीडर किया जाये और अभी इसको पास किया जाये । आप ही देखिये अभी तक यह अमैंडिंग बिल सरकुलेट भी नहीं हु आ और फिर लीडर आफ दी हाउस साहब हमसे यह चाहते हैं कि यह हाउस तब तक बैठा रहे जब तक यह सारा हैवी बिजनैस, लैजिस्लेशन के 1 2– 1 4– 15 बिल आज हन खत्म न कर दें । मैं यह कहना चाहता हूं और जितनी भगवान ने मुझ मे शक्ति दी– है, मैं उस सारी शक्ति से प्रोटैस्ट करता हूं कि क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है? हमारी स्टेट के एक करोड़ 30 लाख आदमियों पर इसका असर पड़ेगा । .....

Mr. Speakar : Please take your seat.

डाक्टर नंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी हम्बल सबमिशन यह है कि हमे व्यक्तिगत तौर पर कोई नाराजगी हो सकती है । डिसीजन से अनपलेजेन्टेनैस या डिसलाइकिग हो सकती है लेकिन मेरी अपील इस हाउस से यह है कि चेयर की डिगनिटी को मेनटेन रखते हुए कोई भी डायरैक्ट या इनडायरैक्ट रिफलैक्शन नहीं करना चाहिए । आपके कर्मचारियों काफंक्शन यह

है कि वे हर मामले में आपको असिस्ट करें । तो स्पीकर साहब, यह तो कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत है । मैं अपने माननीय मिल से यह कहूंगा कि वे डैकोरम को कायम रखें ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने 'डैकोरम के बारे मे कहा, मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नही कही जो डैकोरम के खिलाफ हो । यह पता नहीं वे क्यों ज्यादा सैसेंटिव हो रहे हैं । अगर आप की खुशनूदी हासिल करने के लिए बार बार कह रहे हैं.... (विघ्न)..... वह आप ही बतायें कि किसी बात का अगर आपको ज्ञान नहीं है और सैक्रेटरी आपको बता दे तो उसमें..... (शोर व विघ्न)..... और पैसा इकट्ठा हो रहा है... (विघ्न व शोर)

Dr. Mangal Sain : It is my privilege being a member of this House. अगर आप मुझे परमिशन देते है तो मैं बोलता हूं। I always speak with your permission (Interruptions) मेरा जो काम है, वह मैं करूंगा।

Mr. Speaker : All of you please take your seats first.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जिस मामले में मूल चन्द जैन जी ने कुछ एतराज किया था, उस मामले में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं.....

Shri Mool Chand Jain : Point of Order, Mr. Speaker. I had not finished

Mr. Speaker : I thought, you had finished.

Shri Mool Chand Jain : No, no. I had not finished. मैं तो अभी बिगिन ही कर रहा था कि बीच में एक प्वायंट और उठ गया । मैंने स्पीकर साहब, अमी फिनिश नहीं किया था । स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज कर रहा था कि ..... हम कोई नये मैम्बर नही है । हमने लोक सभा में भी फंक्शन होते देखा है । 1952 से 1957 तक भी देखा है और 1987 में भी देखा है । ....

Mr. Speaker : Mr. Jain, please take your seat. I want to make an observation.

I have also been here in the House for quite a long time. I have also seen the Parliament House and other State Assemblies from time to time. It is the duty of the staff to come whenever required with whatever suggestion, rules of procedure, paragraphs or rules to point out.(Interruptions)

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं तो एक बात ही अर्ज करना चाहूंगा । अगर आप इजाजत दें । स्पीकर साहब, डिस्कशन चाहे कोई भी हो रही हो, आप अपनी इंफ्रमेशन के 'लिए, कोई रैफरैन्स के लिए या किसी दूसरी' चीज के लिए किसी. को भी बुला सकते हैं, सलाह ले सकते हैं आप मालिक हैं । (विघन)

Mr. Speaker : No interference please when somebody is speaking.

राव बीरेन्द्र सिंह : कल भी यह चीज हाउस ने नोटिस की हमें यह इतराज नहीं कि स्पीकर साहब, कितनी एडवाईस लेते हैं या लेना चाहते हैं । वे हाउस से भी ले सकते हैं । मेम्बर्ज की बहस भी सुन सकते हैं । (विघ्न व शोर)

श्री फतेह चन्द विज : आन एप्वायंट आफ आर्डर, सर । अभी मेरे माननीय मिल **चौधरी** रिजक राम जी ने पार्टी का पैसा इकट्ठा करने की बात कही । अगर यह बात कोई चौलेन्ज करे और इन्क्वायरी हो.. तो ऐसी गलत बात करने का कोई फायदा नहीं हैं । (इन्ट्रप्शन्ज)

Mr. Speaker : This is no Point of Order.

चौधरी संत कंवर : पैसा इकट्ठा हो रहा है । मैं चौलेन्ज. करता हूं । गलत बात कहने का यह पर कोई फायदा नहीं है ।

Mr Speaker : Only with the permission of the Chair.राव साहब खडे हैं, अब आप बैठिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपकी डिगनिटी, चेयर की डिगनिटी हाउस की डिगनिटी है और आप उसको खूब अच्छी तरह से मेनटेन कर सकते हो, यह हमें सब को पता है । लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि हाउस के मैम्बर्ज की जो फीलिंग्ज हैं, वे आपकी भी फीलिंग होनी चाहिएं । कम से कम उसका कुछ असर आपके पर जरूर हो ।

श्री अध्यक्ष : मुश्किल तो यह है कि मेरे पर ज्यादा असर हो रहा है ।... (हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर आप किसी रूलिंग के पर किसी चीज की सलाह मांगते हैं तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आप उस रूलिंग को पोस्टपोन कर दीजिए । चौम्बर में जाकर स्टडी करा लें । दूसरों से पूछ लें । एक तो वह तरीका है और अगर इस चीज में मैम्बरों को कोई चीज चुभती है तो अगर इजाजत हो तो यह कह दूं कि'' .....

Mr. Speaker : Rao Sahib, let me say something. I would request the members not to unnecessarily tell me what my job is. I know exactly what the job is and everything is being done under the rules and with decorum. In fact, I find by and large, the attitude and the decorum in this House is far better than many places. But I would request the hon. Members not to be unnecessarily upset for small things. They have a job to do and I have a job to do. And, I don't think many people here can tell me how the job is to be done.

Shri Devendar Sharma : I honour the Chair by all means. Sir. you are an elected judge and आप एक हाई मिलिटरी आफिसर रह चुके हैं, मेरी आपके जरिए अपने बुजुर्ग लोगों से खासतौर से गुजारिश है कि जब कोई नया एम 0एल 0ए 0 बोलने के लिए खड़ा हो तो उसे ज्यादार रोकटोक न की जाए । मेरी. आपसे यह दरख्वास्त है कि आप ऐसी चीजों को डिसकरेज करें ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि जब भी कोई मैम्बर बोल रहा हो तो उसे बीच में न टोका जाए । अगर वह मैम्बर हमारी पार्टी का है तो हमारे लीडर साहिबान हमें रोक सकते हैं बाकी सारे का सारा आपका अधिकार है कि आप रोके या बोलने दें । तीन चार दिन से जो चीज लगातार नोटिस में आ रही है वह यह है कि चौधरी रिजक राम खड़े हों या श्री मूत्र चन्द जैन खड़े हों डाक्टर साहब, बार–बार आपके कर्मचारी का नाम लेकर, आफिसर्ज का नाम लेकर, किसी और का नाम लेकर विदआउट योअर परमिशन खड़े होते हैं और बोलने लगते हैं (व्यवधान) ।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल) : स्पीकर साहब, डस बारे में जो आनरेबल' मैम्बर की तरफ से कहा जा रहा है कि लीडर आफ दी हाउस की बजाए कोई दूसरा इंटरफीयर कर रहा है । इसकी बाबत मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टर साहब, पार्लियामैन्टरी अफेयर्ज के मिनिस्टर भी हैं और मेरे बिहाफ पर वे बोल सकते कुंए (व्यवधान) ।

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : मुश्किल यह है कि आप दस–पन्द्रह खड़े हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं । हां, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि let us be not too rigid about it.

डा. मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सारे सदन को अश्योर करना चाहता हूं कि मेरा मकसद किसी आनरेबल मैम्बर को रोकना या इंटरफीयर करना नही है । कोई बात रूल के बाहर जा रही हो तो आपकी परमीशन से मुझे कहने का अधिकार है । वरना मेरे मन में कोई 'रेती बात नहीं है जिससे मेरे मोहतरिम दोस्तों के मन में कोई शंका पैदा हो ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मैं कह रहा था...

श्री अध्यक्ष : कोई बात अब आप रिपीट न करें । इस पर कोई डिबेट नही है । You have already spoken for 2/3 minutes.

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मैं अपना प्वायंट रखूंगा

Mr. Speaker ; I think, you have made a point. I have got your point.

श्री मूल चन्द जैन : पहली बात तो यह है कि जो रूल्ज आफ बिजनैस है उसमें एक खास प्रोसीजर दिया हुआ है कि ये बिल हाउस मे कैसे आएंगे । जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में पेश हुई उसमें इतने सारे बिल नही थे जो आज इसमें ऐड कर दिए हैं । 10 मार्च को मैं सेक्रेटरी के आफिस में गया था और मैंने कहा था कि जिन बिलों के नाम एजंडा में आए

हैं वे हमारे पास नहीं पहुंचे हैं । तो जवाब मिला कि मैं क्या करूं । 10 मार्च तक ये प्रिन्ट नहीं हुए थे 13 मार्च को प्रिन्ट हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, मैं इसका जवाब दे देता हूं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं

Mr. Speaker : Let me give an answer to this. Perhaps you may be satisfied. बात यह है कि बिलों का मामला मेरे पास आया था और मैंने लीडर आफ दि हाउस और दूसरे साहिबान जिनका इससे ताल्लुक है, उनसे कहा था कि कुछ बिलों को बाद में रख लेंगे । फिर मैंने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी सलाह की थी और यहां तक कहा था कि अगर आप चाहें तो सैशन एक्सटेन्ड कर दें । उन्हेंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है । मैंने यह मामला बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में जिसमें अपो– जीशन के मैम्बर्ज भी हैं, डिस्कस किया और मैम्बर्ज से कंसल्ट किया । उन्होंने कहा कि कोई खास बात नहीं है, हाउस 15 तक ही चलाया जाए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह एतराज ट्रेजरी बेन्चिज की तरफ से आया हैइसलिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है वरना यह भी कहा जा सकता था कि अपोजीशन का काम तो सिफ' क्रिटीसाइज. करना है । वाकई यह कोई डे मोक्रेटिक फंक्शनिंग नही है । बजट सैशन आमतौर पर डेढ़ महीना

या दो महीना चला करता था लेकिन अब एक हफ्ते के अन्दर ही यानी सिक–' सात–आठ ही सिटिंग हुई है और बजर सैशन खत्म हो गया है और आखिर में जो लेजिसलेटिव बिजनैस रखा है वह लैजिसलेटिव बिजनैस कुछ ऐसा है जो बिल्कुल नई किस्म का है । नया बिल एग्रीकल्चरल

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आग जरा शार्ट करे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जिस तरीके से एक दर्जन बिल सरकार एक दिन मे निकालना चाहती है इसके लिए मैं सख्त प्रोटैस्ट करता हूं । ।

श्री अध्यक्ष : यह सैशन 18 रोज का हुआ है और इसमें तेरह सिटिंग्ज हुई हैं लेकिन राव साहब ने कहा है कि आठ–नौ सिटिंग्ज हुई हैं । अब तक देखा गया कि मैम्बरान बड़े खुश थे कि बोलने के लिए काफी टाईम मिला है (व्यवधान) ।

कई आवाजें : हमे बोलने के लिए टाईम नही मित्रा ।

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी' सब..मिशन है कि यहां पर कह क्हा गया कि बहुत थोड़ा समय मिला । स्पीकर साहब, समय तो बहुत मिला लेकिन राव साहब स्वयं तशरीफ नही लाए थे । सैशन 27 फरवरी को शुरू हुआ था और पहले दिन ही, गवर्नर ऐडैरस के दिन ही दो सिटिग हुई थी । राव साहब. ने कहा कि डेढ दो महींने सैशन चला करता था । राव साहब, बहुत पुराने पार्लियामेन्टेरियन है और इनके साथ मैं काफी देर तक

मैम्बर रहा हूं । पता नही ये किस समय की बात कर रहे है जब दो महीने सैशन चला करता था । (श्री सुरेन्द्र सिंह की तरफ से विघ्न) आपके पूज्य पिता जी के जमाने में तो एक हफ्ते सैशन चला करता था । स्पीकर साहब, इस बजट सैशन में दो बार नान– आफिशियल डे आया है और जो अमेडिंग बिल है वे कोई खास नही है । इसलिए मेरी सबमीशन है कि हाउस का कीमन्त्री वक्त है, इसको चलने दिया जाए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप उनसे मुकाबिला कर रहे है...

चौधरी रिजक राम : डाक्टर साहब ने जो कहा है वह भी ठीक है कि पहले सैशन छोटे भी होते रहे और बड़े भी. होते रहे । मगर एक बात अवश्य' है कि पंचायत अमेडिंग बिल का आज नोटिस मिला है और बिल अभी आया नहीं है, सरकुलेट भी– नही हुआ हए । किस समय वह बिल–सरकुलेट हो और फिर वर। पाबन्दी लगाना 'कि उसके पास हुए बगैर सैशन जारी रहे, यहं कोई उचित बात नही है । दूसरी गुजारिश यह है कि ये बिल कोईं लम्बे चौड़े तो नही हैं तीन तारीख को मैम्बर्ज को दुबारा आना है अगर लीडर आफ दी' हाउस मुनासिब समझें तो जितना काम आज होता है उसको करके बकाया काम को तीन तारीख के लिए छोड़ दें । तीन तारीख को सैशन बुलाया जा सकता है और बाकी के बिल उस दिन पास हो सकते हैं । इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मोशन को वापिस ले लिया जाए । आज आपने मैम्बर्ज

को खाने पर भी बुलाया हुआ है यह न हो कि खाना भी रह जाए और इधर का काम भी न हो ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) : स्पीकर साहब, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सारा का सारा बिजनैस राव साहब की सलाह से तय हुआ था । जब मेरे से पूछा गया कि बोलो किस ढंग से बिजनैस तय किया जाए तो मैंने कहा था कि सी 0 एम0 साहब ने कहा हर कि जितना टाईम अपोजीशन वाले चाहे उतने टाईम तक सैशन चलना चाहिए । उस समय चौधरी शमशेर सिंह और (राव बीरेन्द्र सिंह की तरफ से विघ्न) आपकी पार्टी के राव दलीप सिंह ने कहा कि सैशन 1 5 तारीख तक चलना चाहिए क्योंकि उसके बाद होई इतना बिजनैस भी नही है । स्पीकर साहब, आपोजीशन की सलाह से सारे का सारा बिजनैस तय हुआ था । अब ये हेराफेरी कर रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नही है ।

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, इन्होंने जो यह कहा है कि हमने यह कहा था कि फैशन 15 तक चनना चाहिए, आगे नहीं चलना चाहिए, यह सरासर गलत बात है । हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई । उस दिन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के सामने सिक' चार–पांच बिल थे लेकिन आज 14 बिल है । जहां तक टाईम का सवाल है आपको पता है कि हमने कट मोशज पर भी बोलने के लिए चिटें दी और बड़ी मुश्किल से दो आदमियों को डिस्कशन के लिए टाईम दिया गया ।

श्री जगन नाथ : आप से पूछ कर तय हुआ था कि इतने दिन सैशन चलेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं पहले एक आबग्नर्बेशन कर दूं । अमी चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने फरमाया, वह बात तकरीब बिल्कुल ही ठीक है क्योंकि मुझे मालूम है शायद आप नहीं थे, शायद पोसवाल साहब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में थे । (विघ्न) मिस्टर **चौधरी** पोसवाल तो थे ही... (विघ्न)

राव बीरेन्द्र सिंह : वह कौन सी पार्टी या ग्रुप के लीडर हैं । सब से बड़े विरोधी दल का लीडर होते हुए भी मुझे तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में बुलाया ही नही है। तो न इसका मैंबर नामजद किया गया हूं ।

श्री अध्यक्ष : सो साहिबान मतलब यह है कि उस रोज हमने पूछा कि और भी वक्त दे सेकते हैं, उन्होंने कहा कोई जरुरत नही है तो इसमें कोई शक नही कि हमने उस वक्त कोशिश की कि जैसे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी कहे उस माफिक हम अपना टाईम दें और....

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहब, इस बारे में चौधरी रिजक राम जी ने जो तजवीज रखी है मैं उससे बिल्कुल मुतफिक हूं । 3 तारीख को तो हाउस बैठेगा ही, चार और पांच को भी सैशन, बुलाया जा सकता है (थंपिग)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं?

डाक्टर मंगल सैन : नहीं जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया है।

Mr. Speaker : This motion is withdrawn with the ccnsent of the House.

बहिर्गमन

Shri Shamsher Singh : I want to raise a point with your permission which you have already granted. We nine members of the House constituting the Vishal Haiyana Patty, Congiess (I) ard independents have formed a group in the Hcuse. We have submitted a written request to you containing the signatures of all the members.....

चौधरी प्रताप सिह ठाकरान : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मैं माननीय सदस्य महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वह हिन्दी में ही बोलें..

श्री शमशेर सिंह : तो स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हमने तीन मार्च को एक रिटन रिकवेस्ट आपकी सेवा में दी थी जिसमें 9 आदमियों के दस्तखत थे और उसमे पांच प्वायंट प्रोग्राम के बारे, जो हम इस हाउस के अन्दर और हाउस के बाहर फंक्शन करेंगे, मेन्शन किया था । बाकायदा उसमे लीडर था, डिप्टी लीडर था और चीफ व्हिप था, इन सब के नाम उसने दिये

हुये थे, तो स्पीकर साहब आपकी चिट्ठी मुझे कल शाम को मिंत्री जिसमे बगैर वजह बताये.... व्यवधान....

Mr. Speaker : Let me make an observation.

Rao Birender Singh : First kindly listen to him and then give your ruling. He is quoting authorities

Mr. Speaker : I have listened to him. Please take your seat. There will be no discussion on a ruling given by the Speaker in the House. You may please come and see me in the Chamber....

Rao Birender Singh : This is not the ruling given in the House, Sir, we are talking about the letter written by you.—

Mr. Speaker : It was given.

Shri Shamsher Singh : We do not want any discussion I only want to submit that you may reconsider it.

चौधरी देवी लाल :. स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इस हाउस के अन्दर और हाउस के बाहर फंक्शन करेगी इधर जो कांग्रेस (आई) के मैम्बर हैं जिनका बाकायदा आना इलेक्शन प्रोग्राम है, और मैनीफेस्टो है यह कट्राडिक्टरी बात कर रहे है । यह कैसी पार्टी बनाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, इसी वजह से मैंने उनको एक ग्रुप नही माना है । बड़ी? नी यर रूलिंग दी है. (विघन)जैसे

मैंने लिखकर दिया है, वैसे ही आप का जो आबजेक्शन हैं, लिखकर दें फिर मैं आबजर्वेशन दूगा । (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, ये खुद हाउस में लीड करते रहे है जो आज कहते हैं कि ऐसा ग्रुप नहीं बन सकता । इस हाउस में यह ओसीडेन्ट है और चौधरी हरिद्वारी लाल इसी तरह ग्रुपस के, अपोजीशन के लीडर थे ।

Mr. Speaker : Please take your seat. Let me make an observation.

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, बहे भानुमन्त्री का कुनबा कमी भी अपोजीशन नहीं बन सकता । यह बाहर भी, अन्दर भी पार्टी होनी चाहिये, 10 मैम्बर होने चाहिये इनके तो 9 औम्बर हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं है ।

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, भानुमन्त्री का कुनबा तो सामने बैठा हुआ है. (हंसी) ।

Mr. Speaker : Let me make an observation.
(Interruptions)

Now, gentlemen I would like to make an observation. A request was made to me. I examined it very carefully and then gave a ruling. Before I consider it further you may kindly submit your objections in writing to me. I shall then give a further ruling, if necessary.

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, आप यह रूलिंग देने से पहले कि नामन्जूर करते हैं, चेम्बर मे हमें बुलाकर पूछ लेते, डिस्कस कर लेते तो फिर हम सारी बात वहीं पर प्वायंट आउट कर सकते थे लेकिन आपने हमें ऐसा कोई मौका नहीं दिया इसलिये यह जो पार्लियामेन्टरी प्रेकटिस है अगर आप इजाजत दें तो आपके नोटिस में ले आऊं ।

Mr. Speaker : There is no need for this. The mater is very clear to me. In any case I do not want any discussion on this ruling. If you have any objection or submissions to make, please give it in writing. I will then consider.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इसका मतलब यहं हुआ कि हमें यह भी इजाजत नहीं है कि हम इकट्ठे अपोजीशन मे होकर फंक्शन कर सकें । तो हम अपनी सोलीडेरिटी और यूनिटी को इस हाउस मे अपोजीशन को इफैक्टिव बनाने के लिये कैसे जाहिर करें । लीडर के लिये हम आफिशियल रिक्गनीशन नही चाहते, कोई तनखाहें नहीं मांग रहे हम तो आफिशियली यह चाहते हैं कि इस को एक असेस्बली का ग्रुप रिकगनाइज किया जाये और आप चाहते है कि हमें अलग अलग ही' दिखाया जाये । तो आप बताए कि हम अपनी युनिटी और सोलिडेरिटी का सबूत कैसे दिखायें? सिवाये इसके कि इकट्ठे होकर आपके सामने निकल कर दिखाये कि हम युनाइटिड है और इकट्ठे हैं और कोई तरीका नहीं ।

Mr. Speaker : Rao Sahib, I just want to say

something.

There is a simple way of showing your unity. Either you merge with them or they merge with you.

श्री शमशेर सिंह : स्पीकर साहब, इसकी. जरूरत नहीं है । हाउस में प्रेसीडेन्ट भी है और रूल्ज में प्रोवीजन भी हैं कि जो डिफरेन्ट ग्रुप्स हैं they can form a group inside the House.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, चौधरी. हरद्वारीलाल इस तरीके से अपोजीशन के लीडर रहे हैं हाउस मे जबकि आप स्पीकर थे ।

Mr. Speaker : Not in my time, I assure you. Please refresh your memory.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इस हाउस का यह प्रेसीडेन्ट है इसको तो आप मानेंगे, इसके अगेन्सट आप आज क्यों जा रहे हैं?

Mr. Speaker : But those days are gone. Do you want them again ?

Rao Birender Singh : It means that democracy has gone.

Mr. Speaker : No, no. Those days have gone.

Rao Birender Singh : When opposition was allowed an effective say, those days are gone. स्पीकर साहब, यह तो आप देख रहे है कि हम सब इकट्ठे हैं और यह दिखाने के लिये हम

वाकआउट करते हैं ।

(इस समय राव बीरेन्द्र सिंह, राव दलीप सिंह, श्री शमशेर सिंह, चौधरी बीरेन्द्र सिंह, चौधरी इन्द्रजीत सिंह, चौधरी सुरिन्द्र सिंह । चौधरी नारायण सिंह, चौधरी जगजीत सिंह पोहलू, श्री मांगेराम गुप्ता सदन से बाहिर चले गये ।)

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, आपने काल अटेन्शन मोशन के बारे मे आबजकेंशन की थी कि आप अपने चेम्बर में मीटिंग करेंगे । मैं पूछना चाहता है कि क्या वह मीटिंग हुई है और क्या फैसला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : वह मीटिंग आज पौने ग्यारह बजे होनी थी लेकिन you have delayed the matter. But we are now holding the meeting.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, I beg to move—That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned since-die.

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मेरी अर्ज है कि वे जो तीन तरीख के लिये एग्री हो गये हैं और सारे मैम्बरान भी यही चाहते है

Therefore, the House may be adjourned till 3rd April, 1978, and not sine-die.

Mr. Speaker : That we can say to third of April.

I will, therefore, put the motion as amended to the vote of the House—

Question is—

That the Assembly at it's rising this day shall stand adjourned till 3rd April, 1978.

The motion was carried.

Mr. Speaker : On termination of the sitting today, the Assembly will meet again on the 3rd April, 1978, at 2 p.m.

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

11.00 बजे

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to lay on the Table the Audit Report of the Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 1975, as required under Section37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951,

Sir, I also lay on the Table the Audit Report of the Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March,

1976, as required under Section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

दि हरियाणा प्राईवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमैंट) बिल (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : The House will now resume discussion on clause 3 of the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill, 1978.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका) : स्पीकर साहब, कल मैं हरियाणा प्राईवेट कालिजिज (टेकिंग. ओवर आफ मैनेजमैटं) बिल, 1978 की धारा 2 तथा 3 पर अपने विचार हाउस के सामने रख रहा था । पेशतर इसके कि मैं इस धारा पर अपनी बात कहूं, मैं लीडर आफ दी हाउस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हाउस में जनरल विचारों को सुना और स्वीकार किया कि बिल जिस तेज रफ्तार से पास किए जा रहे थे, वे न किए जाए । इस के लिए मैं उन्हे बधाई देता हूं । जहां तक धारा 3 का सम्बन्ध है, मुझे आश्चर्य है कि कल हमारे माननीय साथी राव बीरेन्द्र सिंह ने इस बिल की कड़ी आलोचना की । ऐसा बिल हमारी सरकार ही नहीं लाई, शायद देश के दूसरे हिस्सों में भी प्राईवेट कालिजिज की यही समस्या है और इस बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए यह बिल हमारी सरकार लाई है । राव साहब और उन के दूसरे साथी, प्राईवेट कालिजिज की जो दुर्दशा है, क्या हशर है, उसको भी जानते है और सरकार ने उनकी हालत ठीक करने केलिए यह कदम उठ!या है । इस बिल को स्वीकृति मिलनी चाहिए, लेकिन

इन्होंने स्वीकृति की बजाये नुक्ताचीनी की है कि सरकार इनमे राजनीतिक तरीके से काम करेगी और उन कालिजिज को अपने अंडर ले लेगी जो उनके पुलिटिकल अपोनैन्ट्स के कालिजिज हैं । अभी तक यह बिल पास नहीं हुआ और स्टेट में इस की जरुरत है । मेरे हन्के में एक कालेज. है, उसकी बड़ी दुर्दशा है । बहुत सारे कालिजिज ऐसे हैं जिनकी दुर्दशा है, बुरी हालत है । शिक्षा मन्त्री जी ने इन सब बातों का जिक्र किया है । अगर सरकार पुलिटिकल तौर पर कालिजिज में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मुकर्रर क्रेगीं तो उसका इलाज बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है । धारा 5 के पर इन्होने खा स तौर पर जोर दिया है, मैं इस पर अपने विचार रखूंगा । इस क्लाज मे सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन पर पाबन्दी लगाई है । एक तरफ तो सरकार लोकतन्त्र की दुहाई देती है और कहती है कि हम अदालतों का सम्मान करते हैं, जुडिशरी का सम्मान करते है और दूसरी तरफ धारा 5 मे लिख दिया कि जहां तक कानून का ताल्लुक है, कानून के मुताबिक अदालतें कोई कार्यवाही नही कर सकती, कोई दखलदांजी नहीं दे सकती । स्पीकर साहब, मैं आपकें जरिए से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे कानून आजादी से पहले के बने हुए थे, आजादी के बाद बेशुमार कानून बने । हरियाणा असैम्बली में, दूसरे प्रान्तों की असैम्बलियों में, पार्लियामेंट मे, कांग्रेस की हकूमत के दौरान में और अब भी बहुत सारे कानून बने । जब राव साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी बने थे । यह इस लिए होता है कि कुछ काम जल्दी मे करने पड़ते हैं । जब तक दीवानी अदालतों के अख्तियारात पर

पाबन्दी न लगाई जाए, तब तक ये काम जल्दी में नही होते और झगड़े इतने बढ़ जाते है कि जो बैनिफिश्यरी कानून होते हैं जिन में जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास होता है, उन में रुकावट होती है । चकबन्दी कानून ऐसा ही है । यूटिलाइजेशन आफ लैड एक्ट, लैड रिस्ट्रिक्शन एक्ट वगैरह कई कानून हैं जिन में इस किस्म की धारा होती है लेकिन इस धारा के बावजूद भी दी वानी अदालते रु कावट डाल रही है । मैं रुकावट नहीं कहता, इस लफज को मैं वापिस लेता हूँ, लेकिन उनके कर्मचारियों को, जिनको उन कानूनों के अधीन अधिकार देती है, अगर वह अधिकारी उस कानून की व्यवस्था के खिलाफ, कानून के दायरे से बाहर जाकर, कानून की धारा के खिलाफ, प्रोवीजन के खिलाफ कार्यवाही करें तो दीवानी अदालतों को दखलन्दाजी का अख्तियार होता है । मिसाल के तौर पर धारा 3 में लिखा है—

"Whenever the State Government, on receipt of a report from the university concerned or otherwise, is satisfied that the managing committee or president of a college has neglected to perform or persistently makes default in the performance of duties and functions imposed on it " (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) यह पुरानी शर्ते हैं, इन शर्तो के इलावा अगर हमारी सरकार किसी कालेज की मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेगी, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगी तो दीवानी अदालत हुक्म जारी कर सकती है, दखल दे सकती है, बिल्कुल रुकावट नहीं है । राव साहब, शायद लाइयर नहीं है, शायद वे समझ नही

सके लेकिन चूंकि अपोजीशन में हैं, इसलिए उन्हेंने क्रटिसाईज करना है । मैं अपने साथी. शमशेर सिंह से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे हर बात को गल्त ढंग से लेंगे तो जो बिल का मक्सद है वह खत्म हो जाएगा । जिस मक्सद से एक करोड़ 30 लाख लोगों की सेवा करनी है बहु खत्म हो जाता है । इस धारा का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन शिक्षा मन्त्री जी से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इस बिल के साथ फाइनेंशियल मैमोरेडम क्यों नही लगाया । क्या मिनिस्टर साहब इस बात का ख्याल करेगें ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, मेरे सवाल का गयाब क्या दमे । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब का ध्यान अपनी तरफ खीचना चाहता हू....

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, श्री मूल चन्द जैन आपको एड्रैस कर रहे हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : मैं कहे रहा था कि जिस कालेज की मैनेजमैंट आप अपने हाथ में लेंगे, क्या इस में खर्च नही आयेगा । मैं बिल का विरोध नही कर रहा, समर्थन कर रहा हूं । लेकिन इस बिल के साय लाइनैशियल मैमोरैडम नही रखा है और इस बिल के द्वारा जो खर्चा आएगा, वह कहां से खर्च करेंगे । वैसे कल आपके भाषण से जाहिर होता था कि खर्चा नहीं आयेगा । अगर आपके अधिकारी सोचते है कि खर्चा नही आयेगा तो गल्त सोचते है । जहां तक चौरिटी का ताल्लुक है, दान का दायरा खुश्क हो चुका है, अब कोई दान नहीं देता । अगर सरकार ग्रांट

की माला नहीं बढायेगीं तो कालेज नहीं चलेगा । मैं यह मानता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन की तरफ से जो ग्रान्ट आती है, सरकार जो ग्रान्ट देती है उसको कितनी ही मैनेजिंग कमेटीज खुर्द–बुर्द करती रही हैं । लेकिन वह सारे का सारा रुपया यदि ज्यों का त्यों रहे, कुक थोड़ा बहुत दान भी आए, लड़के और लड़कियों की फीस भी आए तो भी कालेज का खर्चा नहीं चलेगा, एक दो कालेजिज को छोड़ कर । सरकार क्या करेगी? ऐडमिनिस्ट्रेटर को इसमें कोई अख्तियार नहीं दिया । जब कालेज अपने हाथ में ले लिया और उसमें घाटा हो तो वह कैसे पूरा करेंगे? प्रोफैसर्ज को और टीचर्ज को तनख्वाह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके लिए तो जो विश्वास हाउस को शिक्षा मंत्री जी दिला सकते होंगे दिलाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात कहकर मैं बैठूंगा । वह सरकारी कालेजों से भी सम्बन्धित है और प्राईवेट कालेजिज से भी सम्बन्धित है । यह बात हमारे जो डायरैक्टर फिजिकल ऐजुकेशन है उनके पेनकेल के बारे में है । इसके बारे में कल हमारे एक साथी ने सवाल भी पूछा था । मैं समझता हूं कि हमारे हरियाणा में स्पोर्टस का बहुत भारी स्कोप है । हालांकि हमारी एक छोटी सी स्टेट है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन हुए है । कुश्तियों और दूसरी खेलों में फस्ट' आने वाले खिलाड़ियों को ईनाम भी दिए मेरी धारणा यह है कि स्पोर्टस की, हमारी स्टेट मे बहुत भारी गु जाइश है । डायरैक्टर फिजिकल ऐजुकेशन इस

दिशा में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । लेकिन यह जरूरी है कि जो हिदायतें हैं भारत सरकार की, ऐजुकेशन बोड' की और दूसरी भिन्न भिन्न अथौरटीज की, कि डायरैक्टर फिजिकल ऐजुकेशन का पे–स्केल यूनिवर्सिटी और कालेजिज के आम टीचर्ज, लैक्चर्रज, प्रोफैसर्ज और रीडर्ज के बराबर हो, उसे सरकार माने । यदि फिर भी हमारी गवर्नमैंट यह विचार करे कि इनका स्केल कम हो तो यह उनके साथ अन्याय होगा । उपाध्यक्ष महोदय, इनकी क्वालिफिकेशन आम कालेज टीचर्ज से ज्यादा होती है । आम कालेज टीचर एम0 ए0 होता है लेकिन इनको एम 0 ए 0 पढ़ने के बाद भी एक वर्ष तक खास कोर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है । इन शव्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राईवेट कालेजिज की मैनेजमैंट टेक ओवर करने वाले बिल पर बहस चल रही है । मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई संदेह नहीं कि हरियाणा में 124 कालेज हैं और इनमें से केवल 14 कालेज, गवर्नमैंट कालेज हैं और इस तरह से लगभग सारी कालेज की शिक्षा प्राईवेट कालेजिज मे हो रही है । इसलिए शिक्षा मन्त्री महोदय ने यह जो प्राईवेट कालेजिज को टेक ओवर करने का बिल पेश किया है यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है । लेकिन एक बात को हमें नहीं भुलना चाहिए । जैसे बाबू मूचन्द जैन जो ने जिक्र किया कि जिन प्राईवेट कालेगिज में लैक्चरारज को तनख्वाह नहीं मिल पाती

उसके बारे में इस बित मे कोई प्रोविजन नहीं किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मिस–मैनेजमैट के जहां दूसरे कारण है वहा सबसे बड़ा कारण यह भी रहता है कि कालेज के जो ऐम्पलाइज हैं, प्रोफैसर्ज हैं उनको चार चार महीने तक, आठ आठ महीने तक, साल साल तक या दो दो साल तक तनख्वाह नहीं मिलती । मैनेजमैंट का जो फंक्शन है उस फंक्शन को ठीक तरह से करने के लिए ही तो ऐडमिनिस्टेरटर अप्वायंट किया जाएगा लेकिन सिर्फ टेक ओवर करने से आमदनी नहीं बढ़ जाएगी । उसके लिए कोई और रिसोर्सिज पैदा करने होंगे । इसके लिए मैंने और श्री रणसिंह मान ने एक अमैंडमैंट पेश किया था लेकिन वह रिजैक्ट हो गया । उसका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं । मैनेजमैंट को ठीक ढंग से चरनाने के लिए, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह समझता हूं कि कालेज में जो रिसीट होती है, जो ग्रांट आती है उसका औडिट करना जरूरी है । जो सरकार ग्रांट देती है उसका उनके पास कोई हिसाब किताब न हो, यह ठीक नहीं है । अगर उनका खर्चा पूरा नहीं होता तो वह उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें । यह नही होना चाहिए कि अध्यापकों को तनख्वाह ही न मिले । डिप्टी स्पीकर साहब, अगर अध्यापकों के दिमाग में चिन्ता रहती है, उन्हें रोटी कपड़े का फिक्र रहता है तो मैं समझता हूं कि वे अच्छी प्रकार से शिक्षा नहीं दे सकते । इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं कि जो कालेज तीन महीने के बाद अपने ऐम्पलाइज को तनख्वाह न दे सके उसे सिक कालेज डिकलेयर किया जाए और ऐसे ऐम्पलाइज की तनख्वाह सरकार दे । अगर,

जैसा मैंने पहले अर्ज. किया उनकी तनख्वाह और सिक्योरिटी आफ सर्विस का इन्तजाम नहीं किया जाएगा तो वे शिक्षा नहीं दे सकते । तो डिप्टी स्पीकर साहब, इस किस्म का जो खर्चा आएगा उसका कोई फाइनैन्शल मैमोरैन्डम इसमें नहीं दिया गया है । यह होना चाहिए था । अगर कोई खर्च नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि सही मायने में यह कदम उठाया गया है । डिप्टी. स्पीकर साहब, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस बिल के आने से ही टीचर्ज की सभी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी इसलिए उनकी तरप भी सरकार को ध्यान देना होगा क्योंकि जब तक यह नहीं किया जाएगा उस वक्त तक शिक्षा का सही इन्तजाम नहीं हो सकेगा । मैं ज्यादा न कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं ।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र शर्मा । परन्तु अत दो मिनट से ज्यादा समय न लें क्योंकि आप कल भी खोल चुके हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा (थानेसर) : मैं डेढ मिनट जी लूंगा । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की तह दिल से ताईद करता हूं लेकिन इसमें मुझे एकं बात अखरी है । राव साहब ने भी उसका जिक्र किया था और जैन साहब ने भी जिक्र किया है । इस बिल की क्लाज 5 में लिखा है–

"No civil court shall have jurisdiction in respect of

any matter in relation to which the Administrator is empowered by or under this Act to exercise any power and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this Act."

इसमें कोई बात क्लीयर नहीं है । इसलिए डिप्टी स्पीकर खा–हब, मैं इसके बारे मे कुछ सख्त अलफाज इस्तेमाल करने जारहा हूं क्योंकि नया एम0एल0ए0 होने की वजह से मैं ऐसा कराने से रु क नहीं पा रहा हू । डिप्टी' स्पीकर साहब, यह बिल जो है अनचौनेलाइज्ड, अनगाइडिड और वे न है । इसमे कुछ वर्डिन्ग ऐसी इस्तेमाल की' गई है जिसके द्वारा हमारी सिविल कोर्टस पर भी रोक लगा दी गई है । इसके अनुसार तो सिविल कोर्टस भी आराम से स्टे नही दे सकते ।

इसके बाद स्टेटमैंट आफ औबजैक्टस एंड रीजन्ज में इन्होंने लिखा है कि–

"It has, therefore, been thought appropriate to give enabling powers to the Government for temporary take-over of management, of mis-managed colleges for setting their affairs in order."

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो यह कहूंगा कि यह एक तरह से व्हिमजीकल डिसिजन लिये जाएंगे और लोगों के साथ जुल्म किए जाएंगे । जिस कालेज. की मैनेजमैंट गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, गवर्नमैट की जी हजूरी नही करेगीं तो सरकार

उनकी गल्त बात तो क्या सही बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होगी, उसको किसी भी स्टेज पर टेक ओवर किया जा सकता है क्योकि इसमें कहा गया है कि टैम्परेरी टेक ओवर की जाएगी । मैं समझता हूं कि इस तरह से तो कई ऐसे कालेजिज है, जिनकी. फाईनेन्शल स्टैबिलिटी. भी हो, फाइनैशल स्टेबिलिटी में वे आते हैं, स्टाफ क्वालिफाइड भी हो, बिल्डिग्ज भी हों, प्ले ग्राउन्ड भी हो, स्पोर्टस का इन्तजाम भी हो, लैबोरेटरीज भी हों, लाईब्रेरीज भी. हों, टीचर्ज को सेलरीज भी ठीक देते हों, रिजल्टस भी ठीक हों, फिर भी उनको टेक ओवर किया जा सकता है क्योंकि इसमे कोई गाईड लाईन तय नहीं की गई है, क्रार्स्टेरिया फिक्स नहीं किया गया है । इस वात पर सरकार पूरा गौर करे ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहूंगा । आज जितने भी हमारे प्रोफैसर्ज लगे हुए हैं उन्हे कोई स्टैचुटरी प्रोटैक्शन नही मिंत्री हुई है । गवर्नमैंट सर्विस में जितने ऐम्पलाइज हैं वे सभी हाई कोर्ट मे जा सकते हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटा सकते है । आज. तक प्रोफेसर्ज को स्टैचुटरी प्रोटैक्शन न देना उनके साथ ज्यादती है । ये जुल्म उनके साथ कब तक चलेगा ।

इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहब, जैन साहब ने डी 0 पी 0 आई 0 के स्केल के बारे में जो बात कही उसकी मैं ताईद करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उसके बारे में यह दुबारा विचार करे ।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल हाउस के सामने पेश किया गया है यह कालेजिज की डिवैल्पमैंट के लिए नही है बल्कि कालेजिज में एडमिनिस्टेर टर बैठाने के लिए है । मैं तो यह समझता हूं कि यह पूरे तरीके से अधूरा बिल है । इस बिल में सिक कालेजिज में सुधार लाने की बात कही गई है, उनकी दशा को सुरने की बात कही गई है । इस बिल के द्वारा सिक कालेजिज में सुधार लाना बड़ी असम्भव बात है । एक बात यह भी कही गई है कि जिन कालेजिज की मैनेजमैंट ठीक तरीके से काम नही कर रही है, अव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं और अनियमिततायें हैं, उनकी रिपोर्ट आने पर सरकार उनको अपने अन्डर ले लेगी । इस में न तो रिपोर्ट देने वाली कमेटी बनाये जाने की बात कही है और न स्टाफ कीं तरफ से कोई कमेटी बनाये जाने की बात कही है । सरकार तो सिक कालेजिज को सीधे तौर पर ही ले लेगी लेकिन आम जनता के दिमाग पर यह असर पड़ने भी रहा है कि जो एम0 एल0 ए0 सरकारी पार्टी के हैं, अगर उनके खिलाफ मैनेजमैंट होगी या मन्त्री के खिलाफ मैनेज–मैट होगी तो उन कालेजिज पर तीन साल के लिए एड– मिनिस्ट्रेटर बैठा कर अपने अधीन कर लेगी । तीन साल तक– एडमिनिस्टेरटर अपनी मर्जी से कालेज को चलाये । इसमें कोई भलाई की बात नहीं है । अगर हम यह समझे कि कातेजिज को ठीक करने जा रहे हैं, रेसा मुझे लगता नहीं है । अगर सरकार कीं भावना सिक कालेजिज को अच्छे तरीके से चरनाने की है, व्यवस्थित ढंग से, चलाने की है और शिला प्रणाली को सुदृढ़

करने की है तो इन कालेजिज को पूरे तरीके से टेक–ओवर करने की बात होनी चा हिए । परमानैटं तौर पर अपने हाथ में लेने की बात होनी चाहिए । डसमें कहा गण है कि सरकार तीन साल के लिए उस कालेज को अपने हाथ में लेगी और एडमिनिस्टेरटर बैठा देगी । तीन साल तक सरकार खर्च करेगी और जब थोड़ा बहुत वह कालेज चलने लग जायेगा तो उन्ही गन्दे हाथों, उन्ही गलत हाथों में सोप देगी । ती न साल तक सरकार जो पैसा लगायेगी, उसकी व्यवस्था अच्छी बनायेगी, वहं तो तीन साल के पश्चात् फिर खराब हो जायेगी. । मेरा विचार है कि इस बिल को पूर्णत संशोधित करके रखा जाये । जिन लोगों ने यह बिल' पेश किया है उन्होंने ज्यादा सोच की बात नहीं की, पूरी समझदारी से नही लाये । यदि शिक्षा को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं तो तमाम सिक कालेजिज को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । अच्छे ढंग कीं शिक्षा प्रणाली चलाने के लिए गरीब और अमीर के बच्चे साथ साथ पढ्ने चाहिए, यह इस बिल में लाना बहुत ही जरूरी था । जब इलैक्शन था तो उस टाईम पर सारी की सारी जनता पार्टी में बराबर यह बात कही जाती थी कि इस शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे दोष हैं । उन सारे दोषों को हमारी जनता पार्टी की सरकार को इस बिल. के द्वारा दूर करना चाहिए था परन्तु इस बिल से तो दूर होने वाली कोई बात नहीं है । असल चीज तो कह होनी चाहिए किं जितने भी पब्लिक स्कूल. है, प्राइवेट कालेजिज हैं हरेक को टेक–ओवर करना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए । मैं तो यह कहूंगा कि शिक्षा का पूरे तौर पर

नेशनेलाइ– जेशन होना चाहिए । आज गरीब जनता के साथ मज. कं हो रहा है । गरीब के बच्चे टूटे–फूटे हुए स्कूलों में बैठते हैं, वही पढ़ते हैं लेकिन दूसरी. तरफ शहरों में पब्लिक स्कूल हैं, कानवेन्ट स्कूल हैं, अमीरों के और बड़े लोगों के बच्चे उनमें पढ़ते है । अच्छी पोशाक पहन कर गाड़ी में बैठ कर स्कूलों में जाते हैं । मैं तो यह कहूंगा किं यह शिक्षा प्रणाली आज से तीन साल पहले नेशनेलाइज होनी चाहिए थी । नेशनेलाइज न होने से देश पीछे चला गया है । मिसाल के तौर पर इन्दिरा गान्धी का पोता राहुल और बंसीलाल का पोता गांवों के स्कूल में पढ़ते तो उनको पता चलता कि कितनी गल्त शिक्षा प्रणाली है । आप जानते हैं कि स्कूल के अन्दर जो भी बाते सिखायी' जाती' हैं, बच्चा उन्हीं बातों को जल्दी सीखता है । जब स्कूल से घर आता है तो अपने मां–बाप के सामने उन्हीं बातों को प्रदर्शित करता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप का टाईम हो गया । आप वाइंड–अप कीजिए ।

चौधरी संत कंवर : डिप्टी स्पीकर साहब अभी वाइंड–अप कर रहा हूं । मैं कह रहा था कि स्कूल के अन्दर जो भी चीज बच्चा. सीखता है, घर आ कर वही बाते प्रदर्शित करता है । गांव में बच्चा क्या सीखता हैं? धूल फैंकना और दूसरों पर थूकना ही सीखता है । लेकिन पब्लिक स्कूल के अन्दर बच्चे को गुड–बाई करना सिखाया जाता है । जितनी गलत शिक्षा गांव के छोटे छोटे स्कूलों में सिखायी' जाती है, अगर उसी शिक्षा प्रणाली

के तहत इन्दिरा गान्धी का पोता राहुल और बंसीलाल का पोता इन गांवों के स्कूलो ने पढते जिन में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो वही आदतें सीख कर अपने दादी–दादा की गोद में बैठ कर उनके मुंह पर थूकते या थप्पड़ मारते ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिल पर नहीं बोल रहे हैं । बिल से बाहर की बातें कह रहें हैं ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य इन्दिरा गान्धी और बंसी लाल जी का नाम ले रहे है । He should not mention those persons who are not persent in the House.

चौधरी संत कंवर : मुझे पता है कि आपके लड़के भी पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया, आप बैठिए ।

चौधरी संत कंवर : मैं कह रहा था कि जो बड़े लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर उनके भी बच्चे इन छोटे स्कूलों में होते तो उनको भी पता चलता । जो लोग शासन को चलाते हैं, उन लोगो को तो इस बात का पता होता है कि हमारे बच्चे को स्कूल में ठीक तरह से शिक्षा नहीं दी जा रही है इसलिए वे शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं ।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है जनता पार्टी के सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि यह अधूरा बिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है । इसमें संशोधन होना चाहिए । पूरे तौर पर कालेज को टेक–ओवर करना चाहिए

केवल गई न साल के लिए एडमिनिस्टेरटर बैठाने से सुधार आ जायेगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, इससे कोई सुधार आने वाली बात नही होगी ।

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल) : डिप्टी' स्पीकर साहब, मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं लेकिन एक बात यह दिखायी देती है कि जोसिक कालिजिज हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वे अपने प्रोफेसर्ज की और प्रिंसिपल की तन्खाह समय पर नहीं दे पाते हैं । इसलिए सिक कालेजिज जिनकी आर्थिक व्यवस्था खराब है उनके लिए तीन साल का समय बहुत ही ठीक है । आमतौर पर जितने भी प्राइवेट कालेजिज कुंए उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, कोई भी प्राइवेट कलेज. ऐसा नहीं जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो । दो तीन प्रतिशत कालेजों की ठीक हो सकती है इन हालात को देख कर जितना भी स्टाफ है चाहे प्रोफैसर्ज हैं या दूसरे हैं । सभी चाहेंगे कि हमारा कालेज सिक कालेज बना कर गवर्नमैंट के हाथ में दे दिया जाये । आज हालत यह है कि 90 प्रतिशत कालेजिज हरियाणा के अन्दर ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है । इन हालात के अन्दर प्रोफेसर्ज और मैनेजमैंट कमेटी की होड़ चलेगी कि हम

अपने कालेज को सिक कालेज बना कर गवर्नमैंट के हाथ में दे दें । गवर्नमेंट के लिए बड़ी कठिनाई पैदा होगी कि वह सभी कालेजिज को अपने अन्दर ले ले । इतना बड़ा खर्चा सरकार बर्दाशत नहीं कर सकेगी । जिन कालेजिज की स्थिति खराब है, मैनेजमैंट खराब है उनको अपने अन्डर लिया जाये । दूसरी बात यह है कि जो सिक कालेजिज है उनके अन्दर यह कोशिश की जाती है कि उनको राज–नीति के ओलए यूरेलाइज किया जायँ । बहुत से कालेजों मे विद्यार्थियों को, प्रोफेसर्क को और स्टाफ को पूरी तरह राजनीति के लिए पूरे लाइज करते हैं इसलिए उन पर अंकुश रखा जाये । जो कालेज इस प्रकार के हैं जिन की आर्थिक स्थिति ठीक है और सिक कालेजिज में नहीं आते हैं उन पर अंकुश रख कर गवर्नमैंट अपने अन्डर ले ले । अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो शिक्षा का स्तर है वह नहीं बढ़ पायेगा । आम तौर पर लोग अपने पर्सनल लाभ के लिए इन कालेजों को इस्तेमाल करते हैं । इसलिए थोड़ी–बहुत तरमीम करके यह कोशिश की जाये कि जो कालेजिज निहायत खराब हैं, जिनकी मैनेजमैंट जाति फायदा लेने के लिए कोशिश करती है, उन तमाम को लिया जाये और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है लेकिन वे भी गड़बड़ करना चाहें उनका भी सावधानी से प्रबन्ध किया जाये, उनको भी न छोड़ा जाये ।

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । कल जनरल डिवेट बिल पर हो चुकी थी and

the reply had been given. Clause 3 was under discussion. अब तो इस पर अब बाइ क्लाज विचार हो रहा है । अगर कोई मैम्बर किसी. पर्टीकुलर क्लाज के पर कहना चाहे तो कह सकता है बाकी जहां तक जनरल डिबेट का ताल्लुक है, वह तो कम्पलीट हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । मास्टर शिव प्रसाद जी आप बोलना चाहते थे?

मास्टर शिव प्रशाद (अम्बाला शहर) : डिप्टी स्पीकर साहब, प्राईवेट कालेजों के और गवर्नमैंट कालेजों के रिजल्टस में क्या अन्तर रहता है, यह मुझे बताने की जरुरत नहीं है । मैं समझता हू कि उन कालेजों को जिनके बारे में कोई शिकायत नहीं है, दरुस्त चल रहे हैं, उनको टेक ओवर न किया जाये तो अच्छी बात होगी क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है । ऐसे कालेजों को छोड़ कर बाकी के बारे में जैसे कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम केवल तीन साल के लिये ही उनको टेक–ओवर करेंगे, मेरा ख्याल यह है कि तीन साल के लिये नहीं बल्कि सदा के लिये सरकार उन्हे अपने हाथ मे ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा । इस बिल के अन्दर तीन साल तक टेक ओवर किये रखने की सरकार की लिमिट है, इस लिये मैंने यह कहा है ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : इस बिल के सैक्शन 3 के अन्दर मै दो बातें मन्त्री महोदय के नोटिस में ला0ंगा

। एक तो मै उन्हें सैक्शन 3 और सैक्शन 4 के तहत यह बताना चाहता हूं कि जो माइनौरिटी कालेज थे, उनको आपने इसके परव्यु से एग्जैम्पट कर दिया । मै यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो इस बिल के लाने का मन्शा यह था कि जो सिक कालेज हैं या जिनका मैनेजैमैट ठीक नहीं चल रहा है, उनको गवर्नमैटं तीन साल के लिये टेक ओवर करेगी और उनमें एडमिनिस्ट्रेटर लगायेगी । मै यह कहता हूं कि माइनौरिटी कालेजों को जो यह एग्जैम्पशन दी गयी है, यह 'ठीक नहीं हैं । यह जरूरी नहीं है कि जो माइनौरिटी कालेज हों, उन सब में मैनेजमैंट ठीक हो, उनकी आर्थिक अवस्था ठीक हो । इसलिये मै यह कहता हूं कि यह एक बड़ा फला है कि जिनका मैनेज–मैट ठीक नहीं होगा उनको गवर्नमैंट टेक–ओवर करेगी । कैसे डिटरमिन किया जायेगा कि माइनौरिटी कालेज सिक हैं या नहीं और जो गवर्नमैंट के उनमें पडमिनिस्टेरटर लगाये जायेंगे, वह इस एक्ट के तहत लगाये जायेंगे । यह हुस एक्ट के अन्दर तुक बहुत बड़ी अनौमंत्री है । दूसरी बात मै यह कहना चाहूंगा कि मैनेजमैट ठीक हैं, या गलत हैं, इनको कैसे डिटरमिन किया जायेगा? यहँ हुक बडी वेग टर्म है मन्त्री महोदय. का मन्शा यह है कि सरकार द्वारा मैनेजमैट टेक–ओवर करने से, एडमिनिस्टेरटर लगाने से कालेजों का सारा प्रबन्ध ठीक हो जाएगा । सारे कालेज जिनका मैनेजमैट ठीक नही है, गल्त है, उनको सबसे पहले टेक–ओवर किया जाये ताकि उनकी आर्थिक अवस्था ठीक हो सके जोकि अब ठीक नही है । इस बिल में यह कहीं नहीं आया है कि टेक–ओवर करने के बाद

एडमिनिस्टेरटर किस तरीके से उस कालेज को फाइनैंशीयली ठीक करेगा, सुधारेगा । क्या सरकार उसको ग्रान्ट देगी? हमारे बजट में एजुकेशन के पर 47 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है । अगर इस बिल के अन्दर यह प्रोवीजन होता कि एक करोड़ या डेढ़ करोड़ साया उन एडमिनिस्ट्रेटर्ज की डिस्पोजल पर रख दिया जायेगा जो कालेज को चलायेंगे या. उन कालेजों की आर्थिक अवस्था को सुधारेंगे तो ठीक बात थी । इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब., मै आपके माध्यम से यह कहूंगा कि इस बिल के अन्दर यह कहीं नही है कि इन मिस मैनेजड कालेजों की फाइनैंशीयल पोजीशन की इम्प्रूवमैट करने के लिये उनको बैटर इक्विप करने के लिये इस तरह से फाइनेंसिक का प्रबन्ध किया जायेगा । एक और बात जो मै यहां पर कहना चाहता हूं वह यह है कि जैसे हमारे पड़ौसी राज्य यू0 पी0 में 9570 ग्रान्ट गवर्नमैंट प्राईवेट कालेजों को देती है, उनकी फीस वगैरह सारी गवर्नमैट की ट्रेजरी में जमा होती है और गवर्नमैंट उनके लैक्चररों को अपने खजाने से तनख्वाह वगैरह देती है, अगर इस किस्म का पैट्रन हरियाणा में भी चालू किया जाये तो इससे एक तो लैक्चरर्ज को तनख्वाह भी पूरा मिल सकती है और दूसरे उनके पर हरियाणा सरकार का थोड़ा सा कन्ट्रोल भी रहेगा । इसके अलावा जिन कालेजों की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है, उसका सुधार करने के लिये बिल में मैनेजमैंट को टेक–ओवर करने का जो प्रोवीजन है, उसके बारे में मैं यह समझता हूं कि गवर्नमैटं इन कालेजों के अन्दर सरकारी तौर पर इन्फीलटेरशन करना चाहती है । मैनेजमैंट ठीक न होने के नाम

पर ऐसे कालेजों में घुस कर सरकार आर0 एस0 एस0 का जो एलीमैटं है, उसको वहां पर घुसेड कर अपना प्रभाव जमाना चाहती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कालेजों को सुधारने के लिये और उनकी कंडीशन्ज को इम्प्रूव करने की इसमें कोई बात ही नहीं । मैं जनता सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में जो माइनौरिटी कालेजों को टेक–ओवर करना छोड़ दिया गया है, इस बारे में मन्त्री महोदय जवाब देते समय एक्सप्लेनेशन दें कि क्यों माइनौरिटी कालेजों को छोड़ दिया गया हे?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इस बिल के पर जनरल डिबेट तो कल हो चुकी थी ।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी खुरशीद अहमद पदासीन हुए) ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि, यहां पर आज जो सदस्य बोले हैं, उन्होंने बिल की क्लाज 3 पर कन्फाईन करने की बजाये तकरीबन पूरा बिल कवर किया है । मैं आपकी इजाजत से यह कोशिश करूंगा कि उन सब प्वांयट्स का जवाब दे सकूं जो यहां पर रेज किये हैं हालांकि मैं जनरल डिबेट के वक्त कल जवाब दे चुका था । माननीय सदस्य मूल चन्द जैन जी ने कहा, वैसे तो उन्होंने इस बिल की ताईद की है साथ यह भी कहा कि इस बिल के अन्दर इल्लीगल प्रोवीजन इनका रपोरेटिड है । अगर कोई

इल्लीगल कानून गवर्नमैटं पास करती है तो वह चौलेन्जेबल हे । The Bill cannot stop any illegal act being challenged in a court of law. यह जो क्वैश्चन है यह ऐसे है कि कोई भी आदमी फ्रीवुलम ग्राउन्ड्ज के पर इन कालेजों को टेक–ओवर करने में कोई रुकावट नहीं डाल सकता । जो डी0 पी0 आई0 की बात मूल चन्द जैन जी ने कही थी, वैसे तो इस बिल का उसेसे कोई सम्मन्ध नहीं है लेकिन मै इसके बारे में गवर्नमैंट की तरफ से यह अश्योरैन्स देना चाहता हूं कि गवर्नमैट इस बात पर जरूर विचार करेगी । जैसे कि उन्होंने कह कहा कि इस पर यूनिवर्सिटी को आदेश है, मै उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी को कोई आदेश नहीं हैं, लेकिन हरियाणा सरकार इस पर जरूर विचार करे गी । बाकी जो बात माइनौरिठी कालेजों के बारे में माननीय सदस्य ने कही, उनसे मै यह निवेदन करूंगा कि वें ऐसी बातों को ठीक तरह से स्टडी करके आयें । कांस्टीच्युशन में इन माइनौरिटी कम्पुनिटीज को प्रोटैक्शन दिया गया है और कोई भी गवर्नमैट उनको दबा नही सकती । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि माइनौरिटी कालेजों को लाईसैसं दे दिया गया है मिसमैनेबौटं करने के लिये या दूसरे गल्त काम करने के लिये । गवर्नमैट उनको भी प्रान्ट्स देती है और उन ग्रान्ट्स के जरिये से उनके पर भी कन्ट्रोल रखा जा सकता है । एक प्वायंट इस बिल के बारे में यह आया है संत कंवर जी ने यह क्हो है कि एजुकेशन को नैशनेलाईज करना चाहिए । इस बिल का लिमिटिड मकसद है । मै संत कंवर जी को यह बताना चाहता हूं कि. यह एक बहुत बड़ी

प्रौबलम है । इसके लिये इस वक्त गवर्नमैट के पास फाइबैंसिज नही हैं । मै उनकी जो भावना है, उसका आदर करता हूं । यह बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि अगर सारी. ही एजुकेशन नैशनेलाईज हो सके, तो अच्छी बात है । लेकिन इस वक्त गवर्नमैटं के पास इतने रिर्सी– सिज नहीं हैं कि एजुकेशन को नैशनेलाईज किया जा सके । इस बिल का जो मकसद है वह यही है कि जहां पर मिस–मैनेजमैंट हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, उनको बन्द करने के लिये गवर्नमैट उन कालेजों को फार ए मैक्सिमम पीरियड आफ थ्री ईयर्ज अपने अधिकार में लेकर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठाये ताकि जो मिस–मैनेजमैटं हो रहा है, जो गलत काम हो रहे हैं, वह बन्द कर दिये जायें । तीन साल के बाद इलैक्शन करवा कर फिर वह कालेज मैनेजमैट को हैंड ओवर कर दिया जायेगा । जैसे कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि गवर्नमैटं को इन कालेजों को परमानैटली टेक–ओवर कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल यह है कि यह गल्त बात होगी । गवर्नमैट केवल उन कालेजों को परमानैटली टेक–ओवर करने की बात पर विचार करेगी जिन कालेजों की मैनेजमैटूं इस किस्म का प्रस्ताव भेजेंगी । जो प्राइवेट कालेज हैं, ये प्र1 ईर्वट प्रोपर्टी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सरकार उनको हड़प करना चाहती है या उन पर कब्जा करना चाहती है । जो मैनेजनैटं, कालेज को गवर्नमैटं को हैड ओवर करना चाहती है, जैसे कि मैंने गवर्नमैट कालेज खोलने का क्राइटेरिया बताया था, अगर वे कालेज उस क्राइट्रेरिया को फुलफिल करते होंगे और वहां

की मैनेज–मैट रिएवैस्ट करेगी, तो जरूर कंसिडर किया जायेगा । बाकी जो सौ के लगभग प्राईवेट कलेज हैं, उन सब को गवर्नमैट कालेज बनाता अभी नामुमकिन है । चेयरमैन साहब, मै आ पके नोटिस में यह बात भी लाना चाहता हूं कि यह हरियाणा की धरती है जिसने ऐंसे– ऐसे लाल पैदा किये हें कि जिनका आज भी इतिहास. में नाम अमर है । यह उन बच्चों की एजुकेशन पर निर्भर करता है कि उसे किस किस्म का पौलिश लगाया जाता है या उनको कितना चमकाया जाता है । अगर इन प्राईवेट कालेजों में बच्चों को गल्त एजुकेशन दी जाती है तो यह उनको चमकाने की बजाये बिगाडती है ।

इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो जनता सरकार ने यह एक कूसेड एजुकेशन की इम्प्रूवमैंट के लिए किया है खास तौर से जो माननीय सदस्य फैस के परली तरफ बैठे हैं वे इस महान अभियान में गवर्नमैट का और जनता पार्टी का साथ दें क्योंकि यह काफिला चल पड़ा है, जनता जाग उठी है, अध्यापक जाग उठ है, स्टूडेंट्स जाग उठे हैं और अब यह काफिला रुकने वाला नही है चाहे कितनी ही बिखरी आवाज आए ।

Mr. Chairman : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Chairman : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 5

Mr. Chairman : Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Chairman : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Chairman : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Chairman : Question is-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is—That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) : Sir, **I** beg to move—That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill be passed.

Mr. Chairman : Question is—

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1978

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, **I** beg to introduce the Haryana General Sales Tax

(Amendment) Bill, 1978.

I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill he taken into consideration at once.

मास्टर शिव प्रशाद (अम्बाला शहर) : चेयरमैन साहब, सेल्ज टैक्स के बारे में वैसे तो काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन एक बात की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सेल्ज टैक्स के कारण हरियाणा सरकार को कितना घाटा उठाना पड़ता है । इसके लिए मैं एक ही एग्जाम्पल देता हूं कि आज लोग कारों को खरीदने के लिए कलकत्ता की ओर भागने लगते हैं क्योंकि यहां पर उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है अ और वैस्ट बंगाल से एक व्यक्ति को कार लेने में लगभग तीन हजार रुपए की बचत ह ओं जाती है । ती न हजार बचाने के लिए वह कार यहां से न लेकर कलकत्ता से लेता है । अगर यहां पर टैक्स की शरह कम हो तो मै समझता हूं कि शायद उसको फिर कलकत्ता की ओर भागने की जरुरत न पड़े । चेयरमैन साहब मैंने पहले भी विचार व्यक्त किया था कि टैक्स के बढ़ने से व्यापार के पर जो असर पड़ता है उसका खमयाजा सारे हरियाणा को भुगतना पड़ता है । आज के इस दौर में हरियाणा का सारा व्यापार पंजाब और

चण्डीगढ की ओर बढ़ रहा है । लोगों ने अपने हैड आफिस तो हरियाणा मे खोल रखे हैं और अपने ब्रान्च आफिसिज पं जाब और चण्डीगढ में खोले हुए हैं और वे क्या करते हैं कि अपने हैड आफिस से माल ब्रान्च आ फिस में ट्रांसफर करा लेते हैं । ट्रान्सफर करने के पर कोई सेल्ज टैक्स नही देना पड़ता और पंजाब में सेल्ज टैक्स की शरह कम है जिसकी वजह से जो सेल्ज टैक्स है वह पंजाब सरकार को चला जाता है या दूसरी जगह जहां ब्रान्च आफिस हैं वहां की सरकारों को चला जाता है । अगर यह सेल्ज टैक्स की शरह दूसरे प्रान्तों के बराबर न होकर कम हो जाए तो दूसरे प्रान्तों में रहने वाले भी अपना व्यापार उन सूबों से ट्रान्सफर करके हरियाणा में कर सकते हैं । इसके अलावा इंकमटैक्स मे तथा महसूल चु 'गी आदि और बहुत सी चीजे हैं जिनसे हरियाणा गवर्नमैंट की आमदनी में इजाफा होगा । चण्डीगढ के अन्दर सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स नहीं है लेकिन हरियाणा के अन्दर चार परसेन्ट है अगर इस चार परसेन्ट को दूसरे प्रान्तों से कम कर दिया जाए तो हरियाणा के अन्दर व्यापार बढ़ेगा । मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि टैक्स की शरह में कमी करने से व्यापार में वुद्धि होगी और व्यापार में वृद्धि से सरकार की आमदनी ज्यादा होगी । सरकार का जो यह ख्याल है कि आमदनी कम हो जाएगी, मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब व्यापार में वृ डि होगी तो टैक्स से आमदनी ज्यादा बढ़ेगी और लोगों का टैक्स की चोरी की तरफ सुझाव नहीं होगा ।

चेयरमैन साहब, हमने लोगों से वायदा भी किया हुआ है कि लोगों को इस्पैक्टेरी राज से छुटकारा दिलाएंगे । इसलिए हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हरियाणा की जनता को इंस्पेक्टरों के चु गल से छुटकारा दिलाएं । व्यापारी जो टैक्स देता है वह अल्टी– मेंटली हरियाणा की जनता की जेब से निकलता है । मै एक ही बात कहना चाहता हूं कि सेल्ज टैक्स' की शरह के अन्दर और भी कमी होनी चाहिए ताकि हरियाणा के व्यापार मे ' बढ़ौतरी हो और जैसा सरकार का ख्याल है कि शायद आमदनी मे कमी जाएगी मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा । हमारो आमदनी बडे गी और हमारा जो माइनस बजट है वह आमदनी बढने तथा वेस्टफुल ऐक्सपेंडीचर को कम करके प्लस में तबदील हो जाएगा । इस प्रकार वेस्टफुल ऐक्सपेंडीचर को और भी कम करने के लिए विचार किया जा सकता है लेकिन लोगों को राहत देने केलिए जो वायदा किया था, उनको निजात देने के लिए जो वायदा किया था, सरकार उस पर ध्यान दे ।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका) : चेयरमैन साहब, हरियाणा सेटर टैक्स एक्ट की तरमीम का जो बिल हाउस में आया है यह बहुत थोड़ी सी बातों के लिए है, बहुत ही लिमिटिड इसका स्कोप है । पहली बात तो यह है जिसके बारे में बजट में भी और वित्त मन्त्री जीं ने अपनी स्पीच में भी एलान किया था कि फारेन लिकर पर दस प्रतिशत की बजाए बीस प्रतिशत टैक्स लगाया जा रहा है और इस एक्ट में संशोधन करके उसे अमल मे लाने की

कोशिश की जाएगी । दूसरी बात यह है कि पिछले अक्तूबर सैशन ने सेल्ज टैक्स परं सरचार्ज दो परसेन्ट से पन्द्रह परसेन्ट किया गया था । उस समय भी इसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी और इस बढ़ौतरी को अनावश्यक समझकर पिछले दिनों पन्द्रह प्रतिशत से पांच प्रतिशत करने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद हमारे लीडर ने एलान किया कि वह पांच प्रतिशत से दो प्रतिशत कर रहे हैं । मुझे खुशी है कि हमारी वह मांग स्वीकार कर ली है जो हमने अक्तूबर में उठाई थी । मैंने उसकी तरमीम भी दी है और जब क्लाज तीन आएगी तो मै उसे पढूगा । मैं वक्त इस बिल का इसी हद तक मसौदा है । जब इस बिल की फाइनल स्टेज होगी तो मैं कुछ कहूंगा । इस वक्त सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं । अगर हम इस हद तक ही इसे रखेंगे तो हम जल्दी ही काम निपटा लेंगे । चेयरमैन साहब, मै इसका समर्थन करता हू ।

(इस समय श्री मूल चन्द मंगला बोलने के लिय खड़े हुये)

श्री सभापति : मंगला साहब, दो ही प्वायंट हैं इसमें, जिस पर आपको एतराज हो उस पर ही बोलें ।

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल) : चेयरमैन साहब, मै वित्त मन्त्री महोदय को मूबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने 15 परसेन्ट सरचार्ज घटाकर 2 परसेन्ट कर दिया है पर उनसे एक बात कहना

चाहता हूं कि पहले तो उन्होंने कहा था कि यह सरचार्ज बिल्कुल खत्म कर दिया जायेगा, पता नहां फिर यह 2 परसेन्ट भी क्यों रह गया । इसके साथ मै सेए––जें टैक्स के बारे मे भी कुछ कहना चाहता हूं जैसाकि अभी बोलते हुए शिव प्रशाद जी ने भी इस सेल्ज टैक्स की मूखा लफित की है क्योंकि यह सेल्ज टैक्स व्यापारियों पर न पड़कर सीधा कस्टमर्ज पर ही पड़ता है और कई लोगों का ख्याल है कि यह व्यापारियों पर पड़ता है पर ऐसा नही है । इससे सरकार की आमदनी घटने वाली नहीं है, परन्तु इसके बढ़ने से लोगों में बेचौनी है, लोगों में खराबियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी स्टेटों में कम सेल्ज टैक्स है और हरियाणा. में ज्यादा है, जैसे दिल्ली में 5 परसेन्ट और हरियाणा में छ परसेन्ट है तो इस प्रकार से तीन परसेन्ट का फर्क पड़ गया इससे खरोदने वाले पर एक बड़ा भारी बोझा है । इसलिये दूसरी स्टेटों में और अपनी स्टेट में जो यह फर्क है यह नहीं होना चाहिये, बल्कि यह सेल्ज टैक्स बिछल खत्म हो जाना चाहिये । कल मिनिस्टर साहब ने बोलते हुए कहा था कि एक कमेटी भी इस पर गौर कर रही है, मै भी उस कमेटी के सदस्यगणों से यह प्रार्थना करुगा कि यह जो व्यापारियों और खरीददारों को इस सेल्ज ट्रैक्स के कारण बेचौनी है, उसे दूर क्या जाए, अगर यह बैचेनी दूर न की गई ते करप्शन को बढावा मिलेगा और इंस्पेक्टरों में भी यह भावना है कि वे खराब बात को करते छैं । इसके साथ साथ मै एक और प्रार्थना करूंगा कि ये जो फार्म सरकार की तरफ से निर्धारित किये गये है, यह भी बन्द होने चाहिये । जैसे फार्म नम्बर 1 4, 1 5, 1 6 है

इनका कोई फायदा नहीं है । इन से छोटे दुकानदार तंग होते हैं और यह भरने भी बड़े मुश्किल होते हैं । इस बारे में मेरी अथारिटीज से भी बात डुई है उनकी राय भी यही है कि जो साधारण दुकानदार है, वह तो इन फार्मों को पढ भी नहीं सकता । इससे आगे मै अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूगा कि लाईसैन्स देते वक्त किसी छोटे दुकानदार को परेशान न त्रिया जाए क्यों कि दुकानदारों की इन्कम का हिसाब किताब देखकर ही लाईसैन्स वगैरह इशू किया जाता है । जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनकी आय भी काफी अच्छी हो और जिन पर अथ। रिटीज को किसी प्रकार का शक हो, केवल उन्ही दुकानदारों का हिसाव किन्ताब चौक किया जाए और छोटे छोटे व्यापारियों को तंग न किया जाए । आशा है कि सरकार मेरी प्रार्थना पर अवश्य सहानुभूति से विचार करेगी ताकि छोटे दुकानदारों को सुख की सांस मिल सके । इस तरह से जो केसिज पैंडिंग पड़े हुये है उनमें भी कमी आयेगी और साथ ही मै मन्त्री महोदय व उस कमेटी से जोकि इस काम के लिये बनायी गई है प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि व्यापारियों को परेशानी क्र सामना न करना पड़े । ऐसा करने से हमारा छोटा व्यापारी भी खुश होगा और जो बार– बार शिकायतें सुनने में आती हैं, वह भी दूर होंगी । इसके साथ ही मै आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि. आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि लोग चाहते हैं कि सेल्ज टैक्स को कम किया जाये और हमारे बहुत से भाई इस 15 परसेन्ट की बढौतरी के खिलाफ यहां पर बोले भी हैं क्योंकि हमारी जनता पार्टी के मैनीफेसटो में यह था कि कि क्स्मि का नया टैक्स नहीं लगेगा । यह जो सेल्ज टैक्स में कमी की गयी है, मै उसकी स्पोर्ट करता हूं और इसके साथ मैं अपने परम मिल, डा 0 मंगल सैन जी से यह प्रार्थना करता हं कि सरकार को चाहिये कि जब किसी कारखाने में माल तैयार हो कर निकलता है तो वही पर ही उस चीन की एकचुअल कीमत के साथ सेल्ज टैक्स और एक्साइज ड्च्टी लगाकर उस चीन को कीमत मुकर्रर की जाए । उसकी एक लिस्ट मारे हरियाणा में हर दुकान पर लटका दी जाए और हर चीज के दाम मुकर्रर कर दिये जाएं ताकि जो गरीब खरीददार है, जिसके पर टैक्स का बोझा पड़ता है, गरीब जनता के पर जो टैक्स का एक्सट्रा बोझा पडता है, उस टैक्स से उसको राहत मिल सके और कीमतें भी टिक सके ताकि जो खरीददार है उससे कोई दुकानदार ज्यादा कीमत न वसूल कर सके।

इससे टैक्स की चोरी भी बच जायेगी और जो सरकार के इंस्पेक्टर तय करते हैं, वह तंगी भी ऐसा करने से दूर हो जायेगी । इसलिये अन्त में मै फिर यह जो सेल्ज टैक्स के सरचार्ज मे कमी की गयी है, उसकी स्पोर्ट करता हू और सरकार का इसके लिये धन्यवाद करता हू । इतना कहते हुए मै अपना स्थान लेता हू

और चेयरमैन साहब आपका भी बड़ा मलकर हूं कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया ।

12. 00 बजे

डा मांगे राम गुप्ता (जीन्द) : चेयरमैन साहब, सरकर ने जो 15 परसेन्ट सर– चार्ज घटाकर 2 परसेन्ट किया है, यह एक बड़ा सराहनीय कदम है, इसके लिये मै अपने वित्तमन्त्री व मुख्य मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं । इससे गरीब जनता को काफी राहत मिंत्री है । चेयरमैन साहब, जट के पर बोलते हुए कहा गया था कि यह जो टैक्स है, चाहे परचेज टैक्स हो, चाहे सेल्ज टैक्स हो, चाहे सी0 एस0 टी0 हो या सरचार्ज हो, इन सब का भार व्यापारी के पर नहीं पड़ता है, बल्कि इसका सारा असर अकसर कन्जुमर के पर पड़ता है । कई मेरे भाई इसको समझ नहीं सके हैं कि इस का इफैक्ट किस पर होता है । चेयरमैन साहब, गै तो इतना कहूंगा कि जितने टैक्स बढेगे उतनी चोरियां भी बढेंगी । चाहे जनता की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, इन चोरियों को पकड़ने के लिये कितने इंस्पे– क्टर्ज हैं, कितनी बार ऐडज हुए हैं, और कितनी बार मन्त्रियों ने टूर भी किये हैं लेकिन इतना करने के बावजूद भी ये चोरियां दिन व दिन बढ्ती ही जा रही हैं । इसके कारण क्य. हैं, सरकार को इस ओर विशेश ध्यान देना चाहिये । चेयरमैन साहब, हमने डाक्टर मंगल सैन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी उस कमेटी कौ मैं भी मेम्बर था । उसमें हम लोगों ने यह सुझाव

दिया था कि हम इस बीमारी की जड़ को समझते हैं और हमें पता– है कि यह बीमारी कैसे दूर हो सकती है । हमने कम्पलीट फिगर्क के साथ सुझाव दिये थे कि इस तरह करने से सरकार को कोई लगभग 25 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है और ऐसा करने में किसी भी व्यापारी को किसी किस्म कं।. एतराज नहीं होगा । मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि कमेटी के उन सुझावों पर पूरी तरह से गौर किया जाए और ऐसा कोई न कोई ढंग निकाला जाए जिससे लोगों को, गरीब दुकानदारों को सुख का सांस मिल सके । मै आपको बताना चाहता हूं कि टैक्स की चोरी क्यों होती है और ईमानदार व्यापारी चोरी करने के लिए क्यों मजबूर होता है । आप देखें, किसान खेतों में सरसों प्रोड्यूस करता है और वह सरसों मण्डी के अन्दर बिकने के लिए आती है सरसों परचेज करने पर टैक्स है और व्यापारी 4 परसैंट टैक्स देकर सरसों परचेज करता है । उसके बाद सरसों को कोहलू में डाल कर तेल निकलता है । तेल निकाल कर जब वह बेचता है तो उस पर 4 परसैंट टैक्स है सौर जो बाकी खल बच जाती है उसकी बिक्री पर 6 परसैट टैक्स है । इस तरह से केवल सरसों पर ही कुल 14 परसैट सेल्ज टैक्स बन जाता है । आज मार्किट में सरसों का भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल है । 14 परसेंट के हिसाब से 300 रुपये पर एक व्यापारी पर 42 रुपये सेल्ज टैक्स का बोझ पड़ता है । एक व्यापारी जो 2 क्विंटल सरसों मार्किट से परचेज करके तेल निकालता है उस पर 84 रुपये सेल्ज टैक्स का बोझ पड़ता है और यह टैक्स सरकारी खजाने में जाता है । एक

बेईमान व्यापारी, जो किसी न किसी तरीके से सरकार की सहायता करता है और नाजायज फायदा उठाता है अगर वह 100 बोरी सरसों की परचेज करता है तो उस में दों–चार बोरी की हेरा फेरी करना कोई बड़ी बात नहीं है । इतनी हेराफेरी बेईमान व्यापारी कर ही जाता है । इसका पता नहीं लग सकता, चाहे आप कितने ही इन्स्पैक्टर मण्डी में बैठा दें! कितनी ही चौकिंग करवा लें । दों–चार बोरी की हेराफेरी रिकार्ड में कर जाता है और दो बोरी पर उसको 84 रुपये नैट इन्कम हो ती है । यह हेराफेरी करने की जरूरत क्यो पड़ती है, क्योंकि टैक्सों का इतना बोझ है कि वह हेराफेरी करने के लिए मजबूर हो जाता है । इतना हैवी हएल्ज टैक्स नहीं होना चाहिए । 4 परसैटं सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स तो सब चीजों पर लगता है लेकिन सरसों पर 14 परसैटं पड़ता है । चोरी इसी लिए होती है क्योंकि सरसों पर टैक्स बहुत हैवी है । आप कितने ही इन्स्पैक्टर भर्ती कर लें, जब तक टैक्स कम न हीं किया जाएगा तब तक चोरी खत्म नहीं होगी । व्यापारी को मजबूर हो कर चोरी करनी पड़ती है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि व्यापारियों पर जो बेईमानी का कलंक लगा हुआ है उसको टैक्स कम करके दूर करें । इस सम्बन्ध में हमने आपको सुझाव दिया था लेकिन न –जाने सरकार ने उसको क्यों नहीं माना । हमारी स्टेट से दूसरी स्टेटों को जो माल बाहर जाता है उस पर 4 परसैटं सीएसटी. लगता है । इस कानून में पता नहीं कौन सी कमी है, क्योंकि कानून बनाने वाले भी जानबूझ कर कानून में कोई न कोई कमी छोड़ जाते हैं । एक इडस्ट्रियलिस्ट स्टेट में माल तैयार

करता हो और उस इंडस्ट्री का आफिस किसी दूसरी स्टेट में रखता है तो उस पर सीएसटी. नहीं लगता । कानून में कोई न कोई कमी है इसी लि ए वे दफ्तर दूसरी स्टेट में रखते हैं । जिस स्टेट में ज्यादा माल सप्लाई होता है वहां अगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपने आफिस खोल दें तो सारे का सारा सीएसटी. दूसरी स्टेट में चला जाता है । हरियाणा में इडस्ट्रीज लगी हुई हैं लेकिन उनके आफिसिज दूसरी स्टेट में हैए, इस तरह सारे का सारा टैक्स दूसरी स्टेटों में जाता है और हरियाणा को नुक्सान हो रहा है । न मालिक को फायदा होता है और न स्टेट को फायदा होता है । हमारी कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हरियाणा में माल तैयार करते हैं, उनकी सभी आईटम्ज पर 4 परसैटं सीएसटी. की बजाये 1 परसैटं सी एस टी. कर दें तो सरकार को बहुत फायदा होगा कयोकि इंडस्ट्रीज वाले जो दूसरी स्टेट में आफिसिज रखते हैं वह नही रखेगें हरियाणा में ही रखेंगे और 1 परसैंट टैक्स की आमदनी हरिया णा स्टेट को होगी । व्यापारियों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 परसैटं तो आफिस' का किराया और टैलिफोन का खर्चा हो जाता है, लेकिन सरकार को फायदा हो जाएगा । मिसाल के तौर पर हरियाणा में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एटलस साईकल की इंडस्ट्रीज है ।

इस इंडस्ट्री को खास रियायत दे रखी है । इसकी बिक्री पर 1 परसैट सीएसटी. लगता है । इसी तरह से हर एक

आईटम पर 1 परसैट सीएसटी. कर दिया जाए तो किसी को अपने आफिसिज दूसरी स्टेट में ट्रांस्फर करने की जरूरत नहीं होगी । जो सेल होगी वह सारी हरियाणा से होग और 1 परसैटं सीएसटी. होने से सारी इन्कम हरियाणा स्टेट को होगी । कानून में कह एक लूप–होल है जिसकी वजह से व्यापारी दूसरी स्टेट में आफिसिज रखते हैं । बैरियर पर भी गवर्नमेंट ने लूप–होल रखा हुआ है । अगर हरियाणा स्टेट का कोई किसान दूसरी स्टेट में माल बेचने के लिए जाए तो उस पर सीएसटी. चार्ज नहीं होगा । यह रियायत तो किसान के लिए है लेकिन इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं और किसान के नाम पर बैरियर से माल निकाल कर ले जाते हैं । सरकारी आफिसर टूक वालों से मिल जाते हैं । जब फसल का सीजन होता है तो एक बैरियर से कम से कम पांच पांच हकीर ट्रक प्रोड्यूस लेकर पार होते हैं । वे जमींदार के नाम से बिल बना लेते हैं और जो आफिसर ड्यूटी परह होते हैं उनके साथ सैटल– मेट कर लेते हैं और सौ–सौ, दो–दो सौ रु पया दे देते है । कितनी ही आइटम्ज होती है । अगर एक टूक निकल जाए तो सरकार को हजार–हजार बारह–बाहर सौ रुपये का फर्क पड़ता है । बैरियर पर अगर एक अफसर को 100 रुपया मिल जाता है तो वह खुश हो जाता है और उसका यह धंधा चलता रहता है । इस तरह से एक–एक बैरियर पर पांच– पांच लाख की टैक्स की चोरी होती है । हमने टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए सुझाव दिए थे । मै डा 0 मंगल सैन जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सुझा वों पर गौर करें । टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी मे आपने

व्यापारियों के नुमायंदे लिए और सुझाव दिए थे । इस बीमारी को खत्म करने के लिए, इज्जत से जिन्दगी बसर करने के लिए ठोस सुझाव दिए थे । एक व्यापारी जो वे ईमान है, बेईमानी करके रिकार्ड मे गड़बड़ करके चोरी करता है, उसने सब व्यारा–रियो को बदनाम कर दिया है । आपने सरचार्ज 2 परसैटं से 15 परसैटं कर दिया था और व्यापारियों ने इसका विरोध किया था जिसके एवज में लाठियां खाई, हमारे पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए । फिर आपने दोबारा सरचार्ज 15 परसैट से घटा कर 2 परसैट किया । कह व्यापारियों पर कोई एहसान नहीं किया बल्कि अपनी गल्ती को स्वीकार किया । मै इस बात का समर्थन करता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने हमारी. इस बात को तसलीम किया और जहां पहले थे उसी जगह पर आ गए और सरचार्ज 2 परसैंट कर दिया ।

श्री सभापति : आर वाइंड अप करें ।

श्री मांगे राम गुप्ता : चेयरमैन साहब, मै आपकी मारफत डा 0 मंगल सैन. जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट ने व्यापारियों ने सुझाव दिए हैं उन पर गौर करे । व्यापारियों को सेल्ज टैक्स के क्य–पर बुरी तरह से जकडा हुआ है । फार्म भरने में अगर एक दिन की देरी हो जाए तो व्यापारी को बड़ी पैनल्टी देनी पड़ती है । व्यापारी ईमानदारी से काम नही सकता । जो टैक्स कमेटी आपने बनाई थी उसमें 7 गवर्नमैंट के नुमायंदे थे और 7 व्यापारियों के नुमायंदे थे

। हमने सरकार को 25 करोड़ की इन्कम का सुझाव दिया था और अगर आप हमारे इस सुझाव को मान लेते तो आप इतने बड़े टैक्स न लगाते । इतने ज्यादा टैक्सों से व्यापारी बड़ी तकलीफ में हैं । मै मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यपारियों की तकलीफों को समझे और उनके सुझावों पर गौर करे ।

वित मंत्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : चेयरमैन साहब, जैसा अभी आदरणीय बाबू मूल चन्द जैन जी ने बताया, इस बिल के तहत सिर्फ दो बातों की अमैडमैटं की जा रही है । एक तो पिछने दिनों जो सरचार्ज बढ़ाया गया था उसके सम्बन्ध मे है। उस समय राज्य की वित्तीय 'स्थिति इस हाउस को पता है बड़ी गंभीर थो क्योंकि स्टेट मे बड़ा भारी फ्लड आ गया था । इस वजह से कुछ समय के लिए सरचार्ज 2 परसैट से 15 परसैट किया गया था जिसको सरकार इस बिल के द्वारा वापस ले रही है । दूसरे लिकर के पर सेल्ज टैक्स 10 परसैट से बढ़ाकर 20 परसैंट किया जा रहा है । सिमंत्री यह वर्डज की अमैडमैट थी लेकिन मास्टर शिव प्रशाद जो ने दो बातों का जिक्र किया । एक तो उन्होंने कहा कि सेल्ज टैक्स के जो रें टस हें वे हरियाणा के अन्दर 0 चे हैं । चेयरमैन साहब, इसके लिए नौर्दर्न कोन के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर्ज की एक मीटिंग 18 तारीख को अपने हरियाणा में फरीदाबाद के अन्दर हो रही है । उस मीटिंग का परपज यही है कि नौर्दर्न जोन में सेल्ज टैक्स के रे ट मे समानता लाई जाए । सरकार इस मामले में पूरी गम्भीरता के साथ

सोच विचार कर रही है । चेयरमैन साहब, जहां तक हैड आफिस की बात का सम्बन्ध है यह एक पेवीदी प्रौब्लम है और एक सवैधानिक प्रौब्लम है । यह बात ठीक है कि सेल के पर तो सेल्ज टैक्स है लेकिन ट्रांसफर के पर सेल्ज टैक्स नहीं है । लेकिन इस मामले में भी मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस बात के बारे में भी हम पूरे प्रत्यनशील हैं । सेन्टर के साथ हमारा पत्र व्यवहार जारी है । हमने उनसे कहा है कि यां तो कांस्टिच्यूशल में अमैडंमैट की जाए या इसका कोई इलाज किया जाए । यह सिर्फ हरियाणा के साथ ही दिक्कत नहीं है बल्कि यह दिक्कत महाराष्ट्र और दूसरी स्टेटस में भी है । जब तक थोड़ा सा मुझे मालूम हए सैन्टर के अन्दर इस बारे में काफी तीव्र गति से विचार हो रहा है । लायड को ई न कोई बिन जल्दी ही पार्लियामैटं के अन्दर या जाए ।

जहां तक चेयरमै न साहब, फार्मज का सम्बन्ध है, मैंने सदन को पहले भी बताया था 'कि एक कमेटी इस सारे मामले की छानबीन कर रही है । उसमें यह विचार हो रहा है कि फार्मज के अन्दर कै से सिम्पलीसिटी हो, सेल्ज टैक्स की आईटम्ज कौन–कौन गे हों तया और कौन से सुधार लाए जा सकते हैं । ज्यों ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी सरकार उस पर सिम्पेथेटिकली विचार करेगी । मांगे राम गुप्ता जी ने व्यापारियों का कलंक धोने के बारे में भी चेयरमैन साहब, एक बात कही । लेकिन मै यह कहना चाहता हूं कि जिसको कलंक लगा ही नहीं उसका क्या धुलेगा ।

बात यह' है कि जो व्यापारी सेल्ज टैक्स की चोरी न करे उस पर कलंक नही लगेगा और न कोई धुलने की बात होगी । यह तो बड़ी सिम्पल सी बात है । चेयरमैन साहब, उन्होंने इंस्पैक्टर राज और बैरियर्ज के पर कुरप्शन की भी कुछ बातें कही । उन्होंने कहा कि पांच–पांच सौ टूक सौ रुपया ट्रक के हिसाब से रिश्वत का देकर बिना टैक्स दिए बैरियर से चले जाते हैं । अगर इनके नोटिस में ऐसी बात है तो मै इस पर खेद प्रकट करता हूं लेकिन हमे इस बात का पता नहीं । मुख्य मन्त्री जी ने तो एलान किया है कि अगर कोई सेल्ज– टैक्स की चोरी की, कुरप्शन की बात बताएगा तो उसे हम पाच सौ रुपये तक का ईनाम देंगे । इसलिए इनको चाहिए कि ये ऐसी शिकायत हमें करें, किसी टूक को पकडवाएं और किसी अधिकारी को पकडवाएं । मैं तो हमेशा इस इंतजार मैं रहता हूं कि कोई न कोई फंसे । अगर इनके पास इस तरह की कोई इन्फर्मेशन है तो ये हमें दें । हम दोषी के खिलाफ स्ट्रिक्ट ऐक्शन लेंगे । इन शब्दों के साथ, चेयरमैन साहब, मै हाउस से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाए ।

Mr. Chairman : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Chairman : Question is—That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Chairman : I have received notices of amendments to this clause from the Hon. Finance Minister and Shri Mcol Chand Jain which are identical. I would request the Hon. Minister to move the amendment.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : I beg to move—

That in clause 3, in line 2, for the word "five" substitute the word "two."

Mr. Chairman : Motion moved—

That in clause 3, in line 2, for the word "five" substitute the word "two."

Mr. Chairman : Question is—

That in clause ,3 in line 2, for the word "five" substitute the word "two."

The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is—

That clause 3, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to

move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका) : मिस्टर चेयरमैन, यह जो बिल अभी हाउस ने पास किया है, इसका तो जहां तक मै समझता हूं सभी ओर से स्वागत हुआ है लेकिन इसके पर जो बहस हुई उसके दौरान कुछ बातें कही गई हैं जिनके बारे में मैं भी एक दो औबजर्वेशन्ज करना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि हमारों सरकर ने एक टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी बनाई थी जिसका जिक्र हमारे साथी. कामरेड मागं राम गुप्ता ने किया । उस टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी के बारे में हाउस में सवाल भी पूछा गया और हमें जवाब मिला कि उसकी सिक रिशात पर विचार हो रहा है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उस टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी के बारे में सरकार की तरफ से व्यापारियों को जो विश्वास दिया गया था उस विश्वास पर सरकार ने पूरे तरीके से अमल नही किया ।

उसका जो गजट हुआ वह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और मत्रियों के नाम का हुआ । लेकिन जो व्यापारी नुमाइन्दे उस टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी में थे उनका गजट नहीं हुआ । इसका क्या कारण है? जिन व्यापारियो ने सरकार के लिए 25 करोड़ रुपये के नये टैक्सों का सुझा व दिया उनका गजट नही किया गया । चेयरमैन साहब यह कितनी खुशी की बात है कि किसी' स्टेट में, किसी देश में, खुद वे लोग जो सब से ज्यादा टैक्स देते

हैं वे सरकार को सुझाव देते हैं कि आप इस तरह से ज्यादा टैक्स इक्ट्ठा कर सकते हैं । उन्होंने सरकार को खुद सुझाव दिये हैं । मै समझता हूं कि सरकार उन सुझावों पर अमल करेगी' लेकिन जो व्या–पारी उस टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी मे लिए गये उनको भी गजट करें । सरकार के काम में उन्होंने मदद की है । अगर सरकार को उनको कुछ टी. ए. वगैरह देना पड़े तो –हां हमारी सरकार ने अरबों रुपये कौ बजट बनाया है तो इस दो चार हजार रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता है । उससे कोई इतना बड़ा नुक्सान नहीं होता है । फायदा क्या है? फायदा है कि जो व्यापारी सरकार को सहयोग दे रहे हैं, तो उनका सम्मान होता है और सरकार का भी इसमें सम्मान है । इसलिए मै समझता हूं कि इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

दूसरी अर्ज मै यह करना चाहता हूं कि श्री मांगे राम गुप्ता ने बड़े दु:ख के साथ एक दो बातें रखी हैं । उन्होंने कहा कि व्यापारियों का एक तबका जो गड़बड़ करता है, बेईमानी करता है वह सारे व्यापारियों पर कलंक लगाता है । व्यापारी तो ईमानदार रहना चाहता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है लेकिन सरकार की कुछ गलत नीतियां हैं, सरकार की टैक्सेशन की गलत पालिसी है और उसकी इम्पली– मेंटेशन गलत होने से जो व्यापारी ईमानदार रहना चाहते हैं उन में से भी कुछ धीरे– धीरे बेईमानी करने लग जाते हैं । श्री मांगे राम गुप्ता जी ने जो

मिसाल सरकार को दी, हमारी सरकार के जो मन्त्री हैं वे कृपा करके इसको समझने की कोशिश करें ।

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मैपल सैन) : समझ की मनौपली तो आपकी ही है ।

श्री सभापतिः आप वाइंड–अप करने की कोशिश करे ।

श्री मूल चन्द जैन : मुझे ऐसा मालूम होता है कि .... (इन्टूप्शान्ज)

Mr. Chairman : I think, both these remarks should be expunged.

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, श्री मांगे राम गुप्ता ने दुःख भरे शब्दों में कोई बात कही और उसकी मिसाल भी दी । उन्हेंने कहा कि सरसों पर टैक्स है और तेल पर भी टैक्स है । उनकी डस बात को समझने की बजाये डा0 मंगल सैन जी और फाइनैन्स मिनिस्टर साहब हाउस मे दावा करते हैं कि समझदारी का ठेका ही इन्होंने ले लिया है ।

डाक्टर मंगल सैन : ठेका तो आप ने ही लिया है । Monopoly is not with you

श्री मूल चन्द जैन : भगवान ने और मेरे मां–बाप ने मुझे अकल दे दी तो उसको आप कैसे छीन सकते है? (इन्ट्रप्शन्ज)

डाक्टर मंगल सैन : जैन साहब हम नहीं छीन सकते ।

Mr. Chairman : Do not indulge in this mutual debate.

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, सरकार ने 15 प्रतिशत से 2 प्रतिशत सरचार्ज करके अपनी गलती को स्वीकार किया है । हमने उस वक्त हाउस में यह आवाज उठी थी कि यह बहुत गलत कदम है जो आप उठाने जा रहे हैं । हमारी टेरड को आप दूसरी स्टेटों में धकेल रहे है । आप सोनीपत मंडी का और अम्बाला मंडी का हाल देखें, वहां पर क्या पोजीशन हो गयी है । सोनीपत का व्यापार नरेला मण्डी में चला गया है ।

चौधरी राम लाल वधवा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । चेयरमैन साहब, मैं इनकी बात को कुरैक्ट कर दू । इनको शायद इल्म नहीं है कि फाइनैस मिनिस्टर साहब ने टैक्स रिव्यू कमेटी में व्यापारियों को पहले ही कह दिया था कि 31 मार्च के बाद हम इस को विदड्रा कर लेंगे । लेकिन यह क्रैडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं । हम भी इस कमेटी में थे । (इस समय श्री मांगे राम गुप्ता बोलने के लिये खड़े हुए) ।

श्री सभापति : गुप्ता जी, आप बैठिये । न वह प्वायट आफ आर्डर था और न ही आप का प्वायंट आफ आर्डर बनेगा ।

श्री मांगे राम गुप्ता : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । आदरणीय वधवा साहब ने कहा है कि इस कमेटी का मैं मैम्बर था

। हमारे और उनमे फर्क इतना ही है कि वे गजटिड मैम्बर हैं और मै गजटिड नही हूं ।

Mr. Chairman : It does not make a Point of Order.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : चेयरमैन साहब, मै यही अर्ज करना चाहता हूं कि राम लाल जी ने जो प्वायंट आफ आर्डर में मूल चन्द जैन जी के बारे में कहा है, वह एक्सपंज किया जाये यह गलत बात हैं ।

Mr. Chairman : There is nothing objectionable in those words.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । चेयरमैन साहब, टैक्स कम करना और टैक्स लगाना तो ऐसी बात है जोकि बजट के अन्दर आती है और इन्होंने बजट की सीक्रेसी लीक की है । That is also breach of privilege of the House. जो मैम्बर साहब ने कहा है कि हमने व्यापारियों को पहले ही बता दिया था कि टैक्स वापिस कर लेंगे, विदड्रा कर लेंगे That is also breach of privilege of the House.

श्री मूल चन्द जैन : जो बातें मांगे राम गुप्ता जी ने हाउस में रखीं थी..

श्री सभापति : आप वाइन्ड अप कीजिये । आप रैपीटीशन न करें ।

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, बिल की थर्ड रीडिंग चल रही है । इसलिये मैम्बरान को बोलने का अधिकार है । सरकार ने फारेन लीकर पर 107 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया है । सेल्ज टैक्स पर सरचार्ज 15 प्रतिशत किया था, अब फिर घटाकर 27 प्रतिशत किया है इसकी इम्पलीमैटेशन के लिये यह बिल आया है । इसलिये मैम्बरान की जो थर्ड रीडिंग के समय ड्यूटी' है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है । हमारी सरकार की यह ड्यूटी है कि हमारे हरियाणा के यूक करोड़ 20 लाख नागरिक हैं, उन नागरिकों को ईमानदारी के रास्ते पर ले जाये । डाक्टर मंगल सैन जी भी मानेंगे, हालांकि वह समझ मेरे से ज्यादा रखते हैं

श्री शमशेर सिंह : आन पु प्वायंट आफ आर्डर, सर । क्या डाक्टर मंगल सैन जी का राम लाल जी ने मुख्तिया नामा ले लिया है?

चौधरी राम लाल : वधवा राव साहब की मिनिस्टरी में शमशेर सिंह जी हमारी वकालत करते रहे और अब इनकी वकालत कर रहे हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार कैसे ठीक कानून बनाये? टैक्सेशन का रेट ठीक रखे । जो गड़बड़ है, उसको ठीक करे और जो नेक व्यापारी हैं, नेक नागरिक हैं, उनसे सलाह लेकर काम करे । पीछे बजट के मौके पर बोलते हुए

भी मैंने राईस ब्रेन कन्ट्रोल आर्डर के बारे मे कहा था । हरियणा के अन्दर 3 0, 000 टन चावल का पालिश हमारे राईस मिल पैदा करते हैं ।

Mr. Chairman : Please do not bring in those things which you have already said in your speech on the Budget.

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, मैं तो सिर्फ इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं । मेरा मतलब तो यह है कि मंत्री जी ने इन प्वायंटस का हाउस में जवाब नही दिया आज भी जैसा गुप्ता जी ने सरसों के बारे में कहा लेकिन उसका भी जवाब नही दिया गया । यह गलत बात है कि एक चीज पर डबल टैक्स लगे । उधर भी सेल्ज टैक्स ले ले और आगे जा कर भी । तेल पर भीं टैक्स ले ले और खल पर भी टैक्स ले लें । मार्किट फीस बढायी । पहली स्टेज पर जो खरीदता है, तो उसे भी टैक्स देना पड़ता है और दूसरी स्टेज पर खरीदता है, उसको भी देना पड़ता है, और तीसरी स्टेज पर जो खरीदता है, उपको भी देना पड़ता है । इन सारी चीजों का आप जानते हैं क्या नतीजा होता है? अगर मैं सममने की बात कह द् तो यह गुस्सा होते हैं । आप तरीका बता दे तो यह समझ का शब्द मैं इनके लिये इस्तेमाल नहीं करूंगा । गोबर गैस प्लान्ट पर बिक्री टैक्स के पिछली – सरकार के टाईम पर डिप्टी कमिश्नर्ज ने आर्डर जारी किये कि गोबर गैस प्लान्ट की बिकी पर बिकी टैक्स नहीं लगेगा । इसलिये उन्होंने

वसूल नहीं किया । जो गोबर गैस प्लान्ट फैक्ट्री वाले बनाते थे.... (व्यवधान)

Mr. Chairman : You are travelling too far from the scope of the Bill. Please confine yourself to the scope of the Bill.

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, मैं बिल्कुल अपनी हद के अन्दर हूं । मैं गोबर गैस प्लान्ट के बारे में बोल रहा था.... (व्यवधान)

श्री दीप चन्द भाटिया : मेरा प्वायंट आफ आर्डर है, सर । अभी तो मूल चन्द जी ने इशारा ही किया था लेकिन जब बोलना शुरू करेंने फिर क्या बात होगी? फिर तो मेरे ख्याल से इनको ही टोटल टाईम देना पडेगा, सारा साल ही इनके लिये है ।

श्री सभापति : आप बैठिये, आपका यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

चौधरी राम लाल वधवा : चेयरमैन साहब, फाइनैस मिनिस्टर साहब ने एक बात कह दी कि टैक्स रिव्यू कमेटी बनी हुई है जो कि इस सारे मामले को देख रही है । इतनी बात कहने के बाद भी फिर यह कैसे बोरन रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया?

Mr. Chairman : Please take your seat. The Finance

Minister would have his say. (Interruptions). Please let him finish and I hope he will be winding up.

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, मैंने गोबरगैस प्लान्ट की बात मिसाल के तौर पर कही । काटन थैड की बात कही, वूलन थ्रैड की बात कही । पहले तो उनके पर कोई टैक्स था नहीं, इसी कारण उन्हेंने लोगों से सेल्ज टैक्स वसूल नहीं किया क्योंकि पहले ऐसा कानून था कि वसूल नहीं किया जाना चाहिए था लेकिन अब उनके नाम नोटिस जारी किये हुए हैं. उन व्यापारियों के केसिज एक्साइज एण्ड टैक्सेशन अफसर के पास पैडिग है । मेरी समझ में नहीं आता क्यों पिछले 8 महीने से उनका मामला विचाराधीन है. अब तक तो इसका फैसला हो जाना चाहिए था । मुझे. जहां तक इल्म हैं पुरानी कांग्रेस सरकार के जमाने में भी यह मामला विचाराधीन रहा है । क्यों इस का फैसला होने में नहीं आ रहा? मैं यह चाहता हूं कि इस चीज का फैसला जल्दी –से जल्दी किया जाना चाहिये अगर समझने के लिये किसी इन्जैक्शन लगाने की जरूरत हो तो यह हाउस वह इन्जेक्शन भी लगाने के लिये तैयार है । इस लिये मैं यह कहूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी फैसला किया जाना चाहिए । मुझे निजी तौर पर पता है कि 50–50 दफा गोबर गैस प्लान्ट के व्यापारी, काटन शैड के व्यापारी और वूलन थैड के व्यापारी यहां चण्डीगढ में चक्कर मारचुके हें । इसलिए इस टैक्सेशन रिव्यू कमेटी की जो भी रिकमैंडेशन सरकार के पास आयें, उनके पर जल्दी से निर्णय ले लें । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस तरीके से वे परेशान हैं ।

आपका कर्तव्य है कि आप अपनी जनता की परेशानियों को कम करें। जो–जो बाते आपके नोटिस में आयें, जितनी जल्दी जल्दी हो सके उन परेशानियों को दूर करे ' । आज हरियाणा का व्यापारी सरकार से नाराज क्यों है? यह बात सही है जो श्री मांगे राम जी ने कही । आप कोई भी अच्छा काम करो, हम बीस दफा उसकी बधाई देंगे । आप उन की समस्या के बारे में भी जल्दी एक्शन लो, तो हम आपको भी बधाई देंगे और व्यापारी भी आपको बधाई देगा । जैसे मैंने इस एक्ट को लाने में सरकार को बधाई दी है, वैसे ही मैं फिर बधाई दूगा यदि उनकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है । आप इस समस्या के समाधान के लिये और इसकी इम्पलीमैंटेशन के लिये हमसे जैसा भी सहयोग लेना चाहें, आप हमें बताइये, हम आपको देने के लिये तैयार हैं । हम आपको पूरा सहयोग देंगे लेकिन आप इस चीज की इम्पलीमैंटेशन तो ठीक तरीके से कराइये । इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।... (व्यवधान एव शोर)

चौधरी रिजक राम (राई) : चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ दों–तीन मिनट के लिये हौ एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं । यह बिल सरकार की तरफ से पेश हुआ है और मेरे ख्याल में सभी इस बिल का स्वागत करते हैं । लेकिन यहां पर स्वागत के साथ–साथ नुक्ता चीनी भी काफी की गयी है और कुछ ऐसी बातें भी हैं जैसे टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम है, जोकि इस बिल के स्कोप से

बाहर हैं, उनकी तरफ भी सरकार की तवुज्जह दिलायी गयी है मैं यह समझता हूं कि जिन हालात में सरकार ने इस टैक्स की रियायत दी है या इस पहले लगाये हुए टैक्स को वापिस लिया है, उस में इस मौके पर नूक्ताचीनी का कोई विषय नहीं था । अभी बहुत से सदस्यो ने सरकार का इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कयोकि उसने अपने पार्टी के चुनाव घोषणा पत में यह प्लान किया हुआ है कि सेल्ल टैक्स को मन्सूख करेंमें, क्या इस इ ओर भी सरकार ने कोई कदम उठाया है । हमें आशा तो यह रखनी चाहिए कि वें आने उस वचन को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे । अछी चेयरमैन साहब, झा कमेटी हिन्द सरकार ने बिठायी । उधर दिल्ली में भी टैक्स के बारे में, सेल्ज टैक्स के बारे में गुप्ता कमेटी बिठायी । उन दोनों कमेटियों की रिपोर्टस सरकार के सामने आ चुकी हैं । यह रिपोर्टस अखबारों में भी छपी हैं । झा कमेटी ने दूसरी बातों के अलावा जो सिफारिश की है वह यह की है कि सैट्रल सेल्ज टैक्स की शरह 1 प्रतिशत कर दी जाये । इन्टर स्टेट जो सेल्ज टैक्स है, उसके बारे में तो यह है और टैक्स की स्ट्रक्चर को रैशरेनलाइज किया जाये, यदु भी उस कमेटी की सिफारिश है । मेरा ख्याल यह है कि आज हरियाणा में टैक्स की शरह 0ंची होने की वजह से व्यापार को ही नहीं, बल्कि यहां की सरकार की आमदनी को भी भारी नुक्सान पहुंचता है । जितना टैक्स कम होगा, उतनी ही आमदनी ज्यादा होगी । टैक्स की आमदनी जो है यह व्यापार के साथ चलती है । मैंने पहले भी एक दफा इस बात का जिक्र किया था, आज फिर उस बात को

दोहराता हूं । मैं सिर्फ दो मिनट में खत्म कर रहा हूं । दिल्ली की आबादी हरियाणा की आबादी से आधी है लेकिन सेल्ज टैक्स की जो आमदनी दिल्ली स्टेट को है, वह हरियाणा से दुगुनी ही नहीं बल्कि दुगनी से भी ज्यादा है । उसका कारण यह है कि वहां की सरकार ने सेल्ज–टैक्स की दर को इतना कम कर दिया है कि जो सारी टेरडज हैं, वे वहां पर सैंटेरलाईज हो गयी हैं । आज चण्डीगढ में भी हम देखते हैं कि चण्डीगढ के व्यापारी लोग, हरियाणा और पंजाब के टैक्सों में फर्क होने के कारण, रा–मैटीरियल या जितनी भी मैनुफैक्चर्ड गुड्ज हैं, हरियाणा से खरीदने की बजाय पंजाब से खरीदते हैं । इस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज को भी और व्यापार को भी भारी नुक्सान हो रहा है और धक्का लग रहा है । मैं यह आशा करता हूं कि इस बात पर गौर करते हुए झा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और जो वायदा हम ने इलैक्शन के मौके पर पब्लिक को दिया था वह वायदा पूरा करने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाये जाये । मेरा यह ख्याल है कि आज के हालात में शायद सरकार के लिये मुश्किल है लेकिन जो हमने वायदा किया थार यदि उसको पूरा करने के लिए हम कदम नही उठायेगे, उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे तो जनता का विश्वास सरकार से उठता है । हमने जो वायदा किया है, या तो पहले ही सोच समझ कर करना चाहिए था और जब किया है तो उसे, चाहे कितनी ही दिक्कते हों, पूरा करना चाहिए । जो रिपोर्ट सैन्ट्रल गवर्नमेंट को झा कमेटी ने दी है, उसकी तरफ पूरा ध्यान देकर सरकार अगले सैशन से पहले कोई कदम इस बारे मे

उठायेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं । इतना ही कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं..... (व्यवधान व शोर)

वित्त मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : चेयरमैन साहब, अभी बाबू मूल चन्द जी ने यह कहा कि मैंने तो सरकार से पहले ही यह कहा था कि यह टैक्स न लगाओ जोकि सरकार ने पहले लाया था और अब वापिस लेने लग रही है । मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यह टैक्स सरकार ने बाबू मूल चन्द जी के डर से या दवाब से विदड्रा नहीं किक है । यह सरकार ने आती मर्जी से वापिस लिया है । ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके डर या दबाब की वजह से विइ–रग किक गया हो । जैसे कि मैंने पहले ही यह बताया था कि उस समय हरियाणा की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी । उधर फ्लड आ गये । उस वक्त फ्लड के राहत कार्यों के 'लिपे, सहायता देने के 'लिये और स्टेट में डिवैलपमैंट के कामों के लिपे कुछ पीरियड के लिऐ यह टैक्स सरकार ने लगाया था । अब सरकार ने अपनी मर्जी से लोके को रिबोस देने के लिपे यह टैक्स 15 प्रतिशत से 2 प्रतिशत करने का निर्णय किया है । दूसरा प्वाएट टैक्सिज की समानता का है, इसके लिए 18 तारीख को फरीदाबाद में नार्दर्न इंडिक के एक्साइज कमिश्नर्ज की मीटिंग हो रही है और इसके बाद उदयपुर में मिनिस्टर लैबर को मीटींग होगी और उसमें नार्दर्न इंडिया में सेल्ज टैक्स की समानता के बारे में विकर विमर्श किया जाएगा । तीसरी बात यह कही गई कि हरियाणा में सेत टैक्स को शरह कम हो इस सम्बन्ध

में टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी हरियाणा में काम कर रही है । उसकी मीटिंगे हुई है, काफी सोच विचार जा रहा है । जहां तक फार्मों की सिम्पलिसिटी का ताल्लुक है इसके बारे मे गवर्नमैंट खुद ही रूचि ले रही है । मेरे कई भाई किसी को देखकर हीरो बनने के लिए दो फालतू बात कहते हैं । यह ठीक बात नहीं है ।

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब, यह तो मैम्बर्ज पर असपरशन है, ये शब्द निकाले जाने चाहिएं....

चौधरी भजन लाल : चेयरमैन साहब, हीरो बनने के लिये ये जो शब्द कहें हैं व शब्द निकाले जाने चाहिएं । पहरने भी इन्होने कहा कि जैन के दवाब से कोई सरचार्ज वापिस नही लिया है । मन्त्री महोदय के लिए ऐसा कहना कोई ठीक बात नहीं हैं ।

Mr. Chairman : Please withdraw those remarks.

Chaudhri Satvir Singh Malik : Right, sir, I withdraw.

Mr. Chairman : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब इंस्ट्रूमैट्स (कन्ट्रोल ऑफ नांयजिंज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1978

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, I beg to

intioduce the Punjab Instruments (Conrtol of Noises) Haryana Amendment Bill, 1978.

Sir, I also move—

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment. Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Pill be taken into consideration at once.

श्री शमशेर सिंह (नरवाना) : चेयरमैन साहब, अभी डाक्टर मंगल सैन ने हाउस में जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में सब को पता है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने, उसके पर पाबन्दी लगाने, उसके यूज पर कन्ट्रोल करने के बारे में ज्वाएंट पंजाब में गवर्नमैंट की तरफ सेएक बिल लाया गया था । चेयरमैन साहब, उस बिल का मेन मकसद यह था कि स्टूडेन्ट कम्युनिटी के एग्जामिनेशन होते थे, अस्पतालों मे बीमार लोग रहते थे और कुछ दूसरी पब्लिक जगहों पर जहाँ लाउडस्पीकर के शौर से काफी डिस्टरबेंस होती थी, लाउड स्पीकर के कारण इनडिस्क्रिमीनेट शोर होता था इस चोज को चौक करने के मकसद से यह बिल लाया गया था । चेयरमैन साहब, यह भी एक कामन नौलिज की बात है कि इस कानून का, इस कायदे का, जो पोलिटीकल आवाज है, विरोधी दलों की जो सियासी आवाज है उसको दबाने के लिए, सुंप्रैस करने के लिए, उसके पर पाबन्दी लगाने के लिए अकसर सरकार नाजायज इस्तेमाल करती है । इस

वक्त इस बारे में हरियाणामें जो कानून लागू हें उसने मुकम्मल तौर पर सारे प्रोविजन और सारी बातें मौजूद हैं जो लाउडस्पीकर के मिसयूज को अच्छी तरह से कन्ट्रोल कर सकती हैं लेकिन जनता सरकार अपने तमाम वादों को भूल कर और सारी बातों को भूले कर आज एक–एक करके अपने विरोधियो पर और लोगों के पर आनी ग्रिप को मजबूत करना चाहती है ताकि विरोधी दलों की आवाज बन्द को जा सके । उदाहरण के तौर ग्र मैं आपके माध्यम से हाउस में यह कहना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1977 में करनाल में जिला कांग्रेस कमेटी का तीन बार जनता करने के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत मांगी और तीनों बार इजाजत. तब मिंत्री जब फेलसे का टाईम गुजर चुका था (व्यवधान) आपको पता लगा जाएगा कि जलसे होते हैं या नहीं होते (व्यवधान) । आज पानीपत में जलसा है आठ बजे, वहां सुन लेना । चेयरमैन साहब, यह जो बिल सरकार हाउस के सामने लाई है इससे सरकार की नियत का, सरकार की मंशा का पता लग जाता है । चेयरमैन साहब, नए सैक्शन 3 का जो सैकिन्ड पार्ट है उसमें लिखा है "n or upon any street or bazar or open space " चेयरमैन साहब, यह बात तो मानी जा सकता है कि बाजार और स्ट्रीट में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कन्ट्रोल किया जाए ताकि दुकानदार और आने जनि वालों को इन्टरफीयरेंस न हो लेकिन ओपन स्पेस का शब्द दर्ज करके सरकार की मंशा बिल्कुल जाहिर हो जाती है कि सरकार यह चाहती है कि ओपन जगह पर भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न हो सके । चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार को

और सारे हाउस को इस बात से अवगत कराना चाहता है कि जनता सरकार, जनता पार्टी, इलैक्शन मे बड़े लम्बे चोड़े वादे सिविल लिवरटी के जलसे और जलूसों के जनता से करके आई थी और आज जो लेजिस्लेशन हाउस के सामने रखी जा रही है यह उन वादों का निगेशन है । कह लेजिसलेशन उन वादों से डिनायल है और सरकार द्वारा इसका मिसयूज किया जाएगा । मैं सदन का ज्यादा समय न लेता हुआ ओपन स्पेस के बारे में कहना चाहता हूं । चेयरमैन साहब, ओपन स्पेस मे किसी तरह का डिस्टरबैंस या अनौएन्स नही हो सकती....

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : आप आगे भी तो पढ़ ले ।

श्री शमशेर सिंह : मैंने आगे भी पढ लिया है । परमीशन का मतलब है कि सरकार परमीशन देगी और सरकार की परमीशन का मतलब है कि जो बात सरकार को सूट करे वहां परमीशन दे दी जाएगी और जो सरकार को इनकनविनिएंट हो उसकी परमीशन सरकार नहीं देगी ।

श्री सभापति : ओल्ड सरकार का भी यही तरीका था ।

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब, यह जो बिल है कांग्रेस सरकार मूव नही कर रही. है । मैं पुरानी सरकार की बात नहीं करता आज की बात करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि इसमें जो ओपन स्पेस और जो आर्बीटेररी वर्ड हैं और जो

आर्बीटेररी पावर हैं उनको वापिस लें । सिवाए अस्पताल, धार्मिक स्थलों के बाकी जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए कोई परमीशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि बाकी के पोरशन को रिजैक्ट करना चाहिए ।

डाक्टर मंगल सैन : चेयरमैन साहब, मेरे माननीय मित और सदन के माननीय सदस्प श्री शमशेर सिंह ने शुरू–शुरू में तो कुछ ऐसी बात कही जिससे ऐसा लगता था कि उनको गुड सैन्स प्रिवेल हो गया है और इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये चौम्बर में कह रहे थे कि आपकी सरकार ने अच्छे काम भी किए हैं

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब मन्त्री महोदय हाउस मे यह जो बात कह रहे हैं यह बिल्कुल मस्त है । मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही ।

श्री सभापति : चौम्बर की बात हाउस मे नहीं लानी चाहिए ।

डाक्टर मंगल सैन : चेयरमैन साहब, यह वहां कह रहे थे कि प्रिवियस गवर्नमैंट ने काफी गल्तियां की है

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहेब, यह बिल्कुल गल्त बात है । मेरी कोई बात नहीं हुई ।

श्री सभापति : चौम्बर की बात हाउस में न लाए ।

डाक्टर मंगल सैन : चेयरमैन साहब, मैं तो उनके कथन पर कहे रहा था । मैं अपनी अधिकार परिधि मे ही बोलूंगा । इन्होंने फरमाया कि इस बिल से जमहूरियत का कत्ल हो जाएगा, सिविल लिबरटी जन्म हो जाएगी और लोकतन्त्र दफना दिया जाएगा । इन्होंने वह तो पढ़ लिया लेकिन अगला फिकरा नहीं पढ़ा । ये काबिल वकील हैं । जो उनके मतलब की बात है वह तो पढ़ ली लेकिन ऐसा करके हाउस की आंखों मे धूल नहीं झोंक सकते । इसमे लिखा है

"(ii) in or upon any street or bazar or open space, except under the written permission of the District Magistrate or any officer authorised by him in this behalf and under such conaitions as may be attached to it."

चेयरमैन साहब, लाउडस्पीकर की पाबन्दी जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लगाई । यह तो उस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लगाई थी और उस वक्त मेरे दोस्त श्री शमशेर सिंह उस पार्टी में नहीं थे । चेयरमैन साहब, उस पार्टी ने ही यह कानून बनाया था, पाबन्दियां लगायीं वीं । हमने तो जो इस के कारण लोगों को तकलीफ होती थी केवल उनको दूर करने के लिये ऐसा किया है । चेयरमैन साहब, गली बाजारों में, हर वक्त ला0ड स्पीकर बजता रहता था, ओपन स्पेस में इनको कौन मना करता है, बजाते रहें, सभाएं करे । जैसे अभी इन्होंने कहा कि पानीपत में जलसा कर रहे हैं, चेयरमैन साहब, परमिशन मिंत्री है तभी तो कर रहे हैं । हमने तो कोई नयी बात नहीं की है । मुझे बहुत ताज्जुब होता है

कि जब कांग्रेस (आई) का कोई मैम्बर जमहूरियत की दुहाई देता है । जिनके अपने राज में जमहूरियत का जनाजा निकला हो और चेयरमैन साहब, जिनके माथे पर आपात्काल के दौरान जुल्म करने का क्लंक लगा हो, वे लोग अब किस मुंह से यह कह रहे हैं कि अब जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है । यह जनता पार्टी का प्रशासन है चेयरमैन साहब, हमने तो रेमोकेसी को रेस्टोर किया है । **चौधरी** शमशेर सिंह जी, आपकी सरकार ने हमें जेलों में बन्द कर दिया था, हाईकोर्टों के दरवाजे बन्द कर दिये गये थे पर आज कोर्टों के दरकते खुले हैं जमहूरियत सही मायनों में अगर कोई लाया है तो जनता पार्टी की सरकार ही लाई है, यहां इस तरफ बैठे हुए सदस्य ही लाये हैं– (तालियां) । आपको तो हमारा मशकूर होना चाहिये कि हमने जमहूरियत को बहाल कर दिया, उल्टा आप हमें कह रहे हो कि फयूटाइल अटेम्पट करते हो, हमे बदनाम करने के लिये । यह बात नामुमकिन है चेयरमैन साहब । यह फरमा रहे हैं कि उनकी आवाक हम दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज ही कोई नहीं, दबाएं क्या क्योंकि यह कहा करते हैं कि डाक्टर की सलाह मानिये–एक, दो, तीन, बम । तो चेयरमैन साहब, जनता पार्टी ने डाक्टर की सलाह मान ली है (हंसी) और चुन कर तीन ही भेजे हैं– –(व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह : 1972 में तो तीन आये थे जनसंघ वाले–

डाक्टर मंगल सैन : कोई बात नहीं अब तो तीन से 76 हो गये लेकिन आप 81 से तीन रह गये । आपको तो डूब मरना चाहिये । हम तो बढ़े हैं और आप घटे हैं । तो चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा अपने माननीय मिवों को कहना चाहता हूं कि हमारी तो डेमोक्रेसी पर पूरी आस्था है और डेमोक्रेमी अपोजीशन के बिना अधूरी है । लेकिन मुझे अफसोस है कि ये मेरे भाई अपोजीशन का रोल भी प्ले करना नहीं जानते क्योंकि वह दिन इनको याद आ रहे हैं इनका तो कोई कसूर नहीं यहं तो हमारे साथी थे, आखिरी वक्त में गुनाहगारों मे शामिल हो गये थे । वैसे तो मैं कई बार कह चुका हूं, बार–बार कहता हुआ अच्छा नहीं लगता कि इन्होंने सारे दल आजमाये हुये हैं इसलिये मुझे इनको कुछ नहीं कहना है, आखिर हैं तो मेरे मित्र(हंसी) ––

चेयरमैन साहब, यह कोई ऐसोसिएशन नहीं है और इसमें कोई आरबीट्रेरी प्रोवीजन भी नहीं है, बात बडी सिम्पल है । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि लोग प्राय शिकायत करते हैं कि भाई बच्चों के पढ्ने का टाईम है, ला0ड स्पीकर लगाकर सारे शहर को परेशान किया जा रहा है । ये वीडी बेचने वाले गली मुहल्ले मे जाकर खड़े होते है, सब को डिस्टर्ब करते है, ऐसी कई बातें है जिनको हमने रेगुलेट किया है । चेयरमैन साहब, अगर जमहूरियत कायम रहेगी तो जाता पार्टी के 'सिर पर रइस कायम रहेगी । इन शब्दों के साथ मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए ।

(इस समय **चौधरी** शमशेर सिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : चौधरी साहब, आप किस पर बोलना चाहते है, आप प्वायंट बताएं, जिन पर आप बोलना चाहते हैं?

व्यैक्तिक स्पष्टीकरण

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब, मैं परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि डाक्टर साहब ने जानबूझ कर मिस लीडिंग और गल्त बात कही है कि मैंने पार्टी बदली है । मैंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली है.... (विघ्न)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री दीप चन्द भाटिया : चेयरमैन साहब, यह कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं कि ये कई बार पार्टियां बदल चके हैं ।

Mr. Chairman : Please take your seat. You should not interrupt like this. (Interruptions)

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब, 68 मे मैं इंडीपेनडेन्ट चुनकर आया था और फिर **चौधरी देवी लाल :** ने बड़ी कौशिश की कि मैं पार्टी बदलूं पर मैंने नही बदली और आज मैं कांग्रेस पार्टी से बनकर आया हूं । यह जोर मार लें, पार्टी

बदलने का सवाल ही नहीं है । डाक्टर मंगल सैन ने तो अपने दीवे पर फुंक मार कर पार्टी बदल ली' है ।

श्री सभापति : चौधरी साहब, यह कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं. बनती है ।

डाक्टर मंगल सैन : चेयरमैन साहब, यह बता दे कि ये पहले विशाल हरियाणा पार्टी मे नही थे?

दि पंजाब इंस्ट्रूमैंटस (कन्ट्रोल ऑफ नायजिज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1978 (पुनरारम्भ)

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Chairman : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is—

That the Tittle be the Title f the Bill.

The motion was carried.

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Punjao Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill be passed.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : (पाई) चेयरमैन साहब, इस बिल के बारे में कहा काफी बहस हो चुकी है । किसी हद तक इस चीज पर कंट्रोल करना भी ठीक है क्योकि यह बीमारी

और पढ्ने वाले बच्चों में डिस्टर्बेंस पैदा करता है । लेकिन मैं अपने परम मिल डा 0 मंगल सैन जी से यह कहना चाहता हूं कि इलैक्शन के 'दिनों में इस की परमिशन की कोई जरूरत नही होती चाहिए ताकि हर पार्टी अपना प्रोपेगण्डा खुले तौर पर कर सके । आप पिछली सरकार की तरह न करें क्योंकि पिछली सरकार के टाइम मे एक दफा मैंने आजाद उमीदवार के तौर पर इलैक्शन लडा था और इसी कारण से मुझे गिरफतार किया गया । उस वक्त तो इलैक्शन के समय में भी परमिशन लेनी पड़ती थी– (शोर) – (मुख्य मंत्री जी की तरफ से विघ्न)चौधरी साहब, मैं तो आपके साथ ही रहा करता था, आपने न्यारा कर दिया – (हंसी) –

चेयरमैन साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि परमिशन देना सरकार के हाथ में होता है, सरकार जब चाहे परमिशन दे दे, जब चाहे न दे । इस लिये कहीं छोटे–मोटे अवसरों पर परमिशन न भी दें तो कोई बात नही पर इलैक्शन में खासतौर पर सरकार को हर पार्टी को परमिशन की कोई शर्त नहीं लगानी चाहिये और खुली छूट होनी चाहिये । चेयरमैन साहब, इलैक्शन हर पार्टी ने लड़ने हैं, राज तो बार–बार बदलते रहते हैं । कभी कोई वजारत आती है तो कभी कोई वजारत आती है । अतः मैं सरकार से इतना ही कहूंगा कि इलैक्शन के दिनों में लाउड स्पीकर की परमिशन की आवश्यकता नही होनी चाहिये । मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी । इसके

साथ–साथ चेयरमैन साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : चेयरमैन साहब, भाई श्री. जगजीत सिंह पोहलू का अखवार वाले गल्ती से नाम भूल गये, हमारे साथ जेल में रहे, वैसे मेरे बड़े परममित्र हैं, बाकी बाते तो आपस में कर लेंगे

श्री सभापति : ठीक है डाक्टर साहब, यह बातें भी आपस में कर लेना–

डाक्टर मंगल सैन : ठीक – है जी । तो चेयरमैन साहब, इन्होंने फरमाया हैं कि बाकी बातों का मैं स्वागत करता हूं । यह रीयल स्पोर्टसमैन स्पिर्ट है, मैं उनकी बात की दाद देता हूं । चेयरमैन साहब, बेशक यह अपोजीशन में हैं लेकिन हैं तो हमारे ही औई । उन्होंने जो बात कही मैं उनको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चुनाव' के दिनों में किसी किस्म की कोई पाबंदी नही होगी और परमिशन दिल खोल कर मिला करेगी (तालियां)

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) : चेयरमैन साहब, यह बिल पास हो जाए, इसलिये हाउस और 10 मिनट एक्सटेन्ड कर दिया जाए ।

Mr. Chairman : There is now no need to extend the sittirg as I am going to put the motion to the vote of the House.

Question is—

That the Punjab Instruments (Conrtol of Noises) Haryana Amendment Bill he passed.

The motion was carried.

Mr. Chairman : The House stands *adjourned till 2 p.m. on Monday the 3rd April, 1978.

*13.00 hours.

(The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Monday, the 3rd April, 1978).